# विवरणिका/Prospectus
# 2024-25

## मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम
## Open Basic Education Programme
### किशोर एवं प्रौढ़ ( 14 वर्ष से अधिक आयु समूह )
Adolescent and Adults (Above 14 years age group)

विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्

**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**
**National Institute of Open Schooling**
आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 Certified
(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(An autonomous Institution under Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India)
ए-24-25, इंस्टीट्यूशल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश
A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309, Uttar Pradesh
**शिक्षार्थी सहायता केंद्र टॉल फ्री नं.:/Learner Support Centre Toll Free No.:**
1800 180 9393, **ई-मेल/E-mail:** LSC@NIOS.AC.IN

**''विश्व में सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली''**
**"The Largest Open Schooling System in the World"**

# अध्यक्ष का संदेश
# Chairperson's Message

प्रिय शिक्षार्थी,

शिक्षा की प्रक्रिया में वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक परिवर्तन देखे गए हैं और इसमें तेजी से निरंतर परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन आसानी से देखे जा सकते हैं, जहाँ प्रक्रिया प्रतिफलों के समान ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा पारंपरिक रूप से शिक्षक केंद्रित होने की बजाय/के स्थान पर अब शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। शिक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषयों के चयन में और शिक्षा की प्रक्रिया में पहले से अधिक उत्तरदायी हो। अब बड़ी संख्या में किशोरों के साथ-साथ 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के अभिभावक शिक्षा कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया द्वारा नहीं बल्कि अपनी गति और स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे शिक्षार्थी, जो शैक्षणिक क्षेत्रों से भिन्न कुछ करना चाहते हैं, जैसे खेल, संगीत आदि या जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए शैक्षिक चुनौती लेना चाहते हैं, वे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, जो मुख्य रूप से मुद्रित और गैर-मुद्रित दोनों रूप में उपलब्ध स्व-निर्देशात्मक सामग्री पर निर्भर होती है। ऐसे शिक्षार्थियों के लिए भी ओडीएल माध्यम अधिक सुलभ होता जा रहा है, जिन्हें किसी प्रकार की अक्षमता के कारण औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त में कठिनाई होती है। ओडीएल पद्धति अक्षम व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार पहुंच, सीखने और मूल्यांकन में अधिक सुविधा प्रदान करती है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) स्कूली शिक्षा के दो राष्ट्रीय बोर्डों में से एक है। यह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। यह सर्वाधिक नामांकन वाला विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय है जिसमें सर्वाधिक संख्या में पाठ्यक्रमों की सामग्री उपलब्ध है, जो मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री द्वारा समर्थित है। एनआईओएस को पूर्व-स्नातक स्तर तक शिक्षार्थियों को नामांकित करने, परीक्षा लेने और उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्राप्त है। एनआईओएस में अध्ययन के पाठ्यक्रमों का मानक और समकक्षता अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर के स्कूल शिक्षा बोर्डों के अध्ययन के पाठ्यक्रमों के समान हैं। शिक्षार्थी एनआईओएस से शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्कूल शिक्षा के अन्य बोर्डों, महाविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। एनआईओएस विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं से संकाय सदस्यों के ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी पाठ्यचर्या, स्व-अध्ययन सामग्री और मीडिया कार्यक्रम तैयार करता है।

मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने एनआईओएस द्वारा अपनी शिक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। अब आप एनआईओएस समुदाय के गर्वित एवं सुविधा प्राप्त सदस्य हैं। मैं एनआईओएस में आप सबका स्वागत करती हूँ।

सामान्यत: यह सोच रहती है कि दूरस्थ शिक्षा आसान है। यह अपेक्षा रहती है कि विषय सामग्री अथवा अपेक्षित अधिगम का स्तर ऐसे सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान होना चाहिए जो किसी राष्ट्रीय अथवा किसी राज्य स्कूल बोर्ड अथवा एनआईओएस से प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तव में मुक्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ने वाले शिक्षार्थी सीखने/शिक्षा प्राप्त

Dear Learner,

The process of education has witnessed tremendous changes globally and is undergoing rapid transformation constantly. At elementary level such changes can be easily observed, where the process is equally important as outcomes. Education is now learner centric instead of what it has traditionally been i.e. teacher centric. The learner is expected to be more responsible for his/her choice of subjects and also process of education than before. Now a large number of adolescents as well as parents of children for 6 to 14 years of age group decide to pursue education not through the classroom teaching process but on their own, at their own pace and place. Learners, who wish to try something beyond curricular areas, like sports, music etc., or want to take greater academic challenge to excel in life, decide to pursue education through open and distance learning (ODL) mode, largely depending upon self-instructional material, both print and non-print. The ODL mode is also becoming more accessible for such learners who find difficulty in learning through formal schooling due to some kind of disability. The ODL mode provides more flexibility in access, learning and assessment as per the specific needs of the person with disability.

The National Institute of Open Schooling (NIOS) is one of the two National Boards of School Education. It offers school education through ODL mode. It is the largest Open School in the world with largest enrollment and number of courses available, supported by print and electronic material. NIOS has been vested with the authority to enroll, examine and certify learners up to pre-degree level. The Open Schooling courses of study of NIOS have the same standard and equivalence as the courses of study of other national/state level Boards of School Education. Learners have joined school education of other boards, colleges and professional institutions after completing their studies from NIOS. NIOS develops its own curriculum, self learning material and media support programmes utilizing expertise of faculty from various Academic and Vocational Education institutions/ organizations of repute.

I congratulate each one of you on your decision to pursue your education through the OBE Programme of NIOS. You are now a proud and privileged member of the NIOS community. I welcome all of you to NIOS.

There is generally a feeling that distance education is easy. The content load or the level of learning expected to take place has to be identical for all learners who acquire certificates either through a national or a State School Education Board or through NIOS. But in reality the learners of ODL mode are more active in learning process as they have to be more self disciplined to

करने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होते हैं क्योंकि उन्हें स्व-निर्देशात्मक सामग्री को पढ़ने और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों को सुनने और देखने के लिए स्वयं को अधिक अनुशासित करना होता है। आप पारंपरिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में पढ़ रहे अपने सहपाठियों की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस चुनौती को लेने के आपके निर्णय पर मैं आपका अभिवादन करती हूँ।

जैसा कि आप सब जानते हैं, एनआईओएस ने ओबीई कार्यक्रम के लिए अपनी वेबसाईट www.nios.ac.in के माध्यम से 100% ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई है। एनआईओएस डिजिटलीकरण की दिशा में और एक कदम बढ़ा रहा है और शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक आसान बना रहा है, इस वर्ष से एनआईओएस ने ''एनआईओएस एसएमआईएस'' (शिक्षार्थी प्रबंधन सूचना प्रणाली) नामक मोबाइल एप के माध्यम से भी प्रवेश आरंभ किया है। एनआईओएस शिक्षार्थी के प्रवेश लेने से लेकर अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक पूरी प्रक्रिया इस मोबाइल एप पर उपलब्ध होगी। एनआईओएस की प्रत्येक गतिविधि की सूचना शिक्षार्थी को इस मोबाइल एप के माध्यम से दी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन प्रवेश की योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जाएगा। जहां तक शुल्क के भुगतान की बात है, कोई चेक/बैंक ड्राफ्ट आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क में स्व-अध्ययन सामग्री का मूल्य शामिल नहीं है। अध्याय-2 प्रवेश प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तृत विवरण प्रदान करेगा।

ओबीई कार्यक्रम अत्यंत विशेष कार्यक्रम है, और इसे प्रत्यायित एजेंसियों (एए) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। ये प्रत्यायित एजेंसियां स्कूल, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी हैं जो अपने शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रदान करता में सहायता करने के लिए काम कर रही हैं। इन प्रत्यायित संस्थाओं पर ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध होगी। ओबीई कार्यक्रम प्रत्यायित एजेंसियों को अध्ययन सामग्री चुनने का निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। एनआईओएस द्वारा स्व-अध्ययन सामग्री अपनाने अथवा एनसीईआरटी अथवा अन्य राज्य शिक्षा बोर्डों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। वे एनआईओएस द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी अध्ययन सामग्री भी तैयार कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि स्व-अध्ययन सामग्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने आबंटित एए (अध्ययन केंद्र) से संपर्क करें। प्रत्यायित एजेंसी आपको व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) की तिथियों के बारे में भी सूचित करेगी। एनआईओएस के अध्ययन प्रक्रिया को विस्तार से जानने के लिए कृपया विवरणिका के अध्याय 3 को ध्यान से पढ़ें। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम कक्षाओं में भाग लेने से आपको अपने अनुशिक्षक के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप अपने चुने हुए विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

यदि आपको अपने अध्ययन केंद्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप स्वयं उन्हें फोन करें अथवा आबंटित एए में जाकर परामर्श सत्र के बारे में पता करें। परामर्श के दौरान, आपको अपनी अध्ययन सामग्री के किसी भी विषय के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करने का अवसर मिलेगा। आपको हर कदम पर एसएमएस अलर्ट मिलता रहेगा। आप हमें टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-180-9393 पर फोन करके और ई-मेल: के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं । यदि आप मुझसे कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी cm@nios.ac.in पर लिख सकते हैं।

एक बार फिर से आपका एनआईओएस समुदाय में स्वागत है।

(प्रो. सरोज शर्मा)
अध्यक्ष, एनआईओएस

go through the self-instructional material and also hear and/or watch the recorded lectures. You are up for a more challenging task than your counterparts in the traditional schooling system. I sincerely salute you on your decision to take this opportunity.

As you all know, of late NIOS has shifted to 100 % On-line admissions for OBE Programme through its website www.nios.ac.in. Moving a step further in the direction of digitalization and making the admission process more learner friendly, NIOS from this year has also introduced admission through Mobile App. named as "NIOS SMIS" (Student Management Information System). The complete life cycle of NIOS learner right from taking admission to final certification shall be available on the mobile App. Each activity of NIOS shall be intimated to the learner through this mobile App. Please note carefully that under the scheme of on-line admission, payment of processing charges for admission will be on-line only. No cheque/Bank Draft etc., will be accepted in so far as payment is concerned. The processing charges don't include the Self Learning Material. The Chapter 2 will give you detailed description about admission process.

The OBE programme is unique in nature and being implemented in collaboration with Accredited Agencies (AAs). These AAs are schools, NGOs, Trusts or societies working to provide learning support to its learners. The online admission facility willalso be available at these AAs. The OBE Programme gives flexibility to AAs in taking decision to choose learning material. They are free to adopt/adapt exemplar Self Learning Material developed by NIOS or they may also use the textbooks of NCERT or other State education boards. They may also develop their own learning material on the basis of Curriculum prescribed by NIOS. Therefore, you are advised to contact your allocated AA (Study Centre) for more information about Self Learning Material. The AA shall also inform you about the Counselling Schedules popularly known as Personal Contact Programme (PCP). Please read carefully the chapter 3 of the prospectus for knowing in detail the Instructional Process at NIOS. Attending PCP classes give you opportunity to interact with your Tutors for solving your difficulties related to subjects that you have chosen.

If you don't hear from your Study Centre, then you would yourself call them or go to the allotted AA and find out about the counselling sessions. During counselling, you will get opportunity to clarify your doubts about any of the topics in your study material. You will keep receiving SMS alerts at each step. You can also reach us through our toll free telephone number 1800-180-9393 and e-mail: lsc@nios.ac.in. In case, you wish to share something with me then you can write to me on my email id cm@nios.ac.in

Welcome once again to the NIOS fraternity.

(Prof. Saroj Sharma)
Chairperson, NIOS

# राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)

## शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी)

एनआईओएस का मानना है और वह आशा करता है कि शिक्षार्थियों को पढ़ाई के दौरान कोई समस्या न आए और उनकी कोई शिकायत न हो। फिर भी, एनआईओएस ने ई-मेल, अंत: क्रियात्मक स्वर-अनुबोधन प्रणाली (आईवीआरएस) और टोल फ्री नं. द्वारा शिक्षार्थी संबंधी विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की स्थापना की है। एनआईओएस के शिक्षार्थी सहायता सेवाओं (एलएससी) की संरचना की चित्रात्मक प्रस्तुति नीचे दी गई है :-

**1800 180 9393 डॉयल करें**

**स्वागत संदेश**

हिंदी के लिए 1 दबाएँ | अंग्रेजी के लिए 2 दबाएँ

### प्रवेश के लिए 1 दबाएँ

**यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया तो दबाएँ :**

1. प्रवेश की तिथि के लिए
2. प्रवेश शुल्क के लिए
3. प्रवेश योग्यताओं के लिए
4. विषय चुनाव के लिए

**यदि आप पंजीकृत हैं तो दबाएँ :**

1. प्रवेश की स्थिति जानने के लिए
2. पहचान पत्र और पाठ्यक्रम सामग्री भेजने के लिए
3. टीएमए के लिए
4. क्रेडिट स्थानांतरण और पुन: प्रवेश के लिए
5. विषय और अतिरिक्त विषय में परिवर्तन, किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए

### परीक्षा के लिए 2 दबाएँ

दबाएँ :

1. परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए
2. परीक्षा की तिथियों के लिए
3. परीक्षा केन्द्रों के लिए
4. परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन के लिए
5. जब चाहो तब परीक्षा से संबंधित किसी भी संशोधन के लिए

### परीक्षा परिणाम के लिए 3 दबाएँ

दबाएँ :

1. माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के लिए
2. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के लिए
3. जब चाहो तब परीक्षा के लिए
4. अंकों की पुन: जाँच के लिए
5. अंकों के लिए
6. अंक सूची/माईग्रेशन अथवा अस्थायी प्रमाणपत्र के लिए
7. दस्तावेज़ों की दूसरी प्रतियों के लिए

### शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए 4 दबाएँ

दबाएँ :

1. एनआईओएस द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए
2. एनआईओएस के प्रमाणपत्र की समकक्षता के लिए
3. पढ़ाई के माध्यम के लिए
4. नमूना प्रश्न पत्र, पाठ्यक्रम और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के लिए
5. विषयों के चयन के लिए
6. व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के लिए

### व्यावसायिक के लिए 5 दबाएँ

दबाएँ :

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उनके शुल्क के लिए
2. प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआई) के लिए
3. अध्ययन सामग्री के लिए
4. परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए
5. जीवन समृद्धि पाठ्यक्रमों के लिए

### जीवन कौशल के लिए 6 दबाएँ

दबाएँ :

1. शरीर संरचना की जानकारी के लिए
2. नशे से मुक्ति के लिए
3. संबंध के लिए
4. यौन रोगों के लिए

### प्रत्यायन के लिए 7 दबाएँ

दबाएँ :

1. प्रोसेसिंग शुल्क के लिए
2. आवश्यक दस्तावेज़ों के लिए
3. प्रत्यायन की प्रक्रिया के लिए
4. प्रत्यायन के लिए आवेदन की स्थिति के लिए

### एलएससी कार्यकारी अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएँ

पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए * दबाएँ | अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएँ

# National Institute of Open Schooling (NIOS)

## Learner Support Centre (LSC)

NIOS believes and hopes that learners do not face any problem and do not have any grievance while taking admission and during their studies. In this context, NIOS has established the Learner Support Centre (LSC) to redress learners related various issues through email, Interactive Voice Response System (IVRS) and Toll Free No. A diagrammatic presentation of the framework of the Learner Support Services (LSC) of NIOS is given below.

**Dial 1800 180 9393**

**Welcome Message**

**Press – 1 for Hindi** | **Press – 2 for English**

| Press 1 For Admission | Press 2 For Examination | Press 3 For Result | Press 4 For Academic Courses | Press 5 For Vocational Courses | Press 6 For Life Skill | Press 7 For Accreditation | Press 9 To speak to LSC Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **If you have not yet registered, Press for:**<br>1. Date of admission<br>2. Admission Fees<br>3. Entry requirements<br>4. Subject selection<br>**If you have registered, Press for:**<br>1. Admission status<br>2. Despatch of Course Material<br>3. Tutor Marked Assignments (TMAs)<br>4. Transfer of Credit (TOC) and Re-admission<br>5. Change of subject, additional subject and for any type of correction | **Press for:**<br>1. Payment of Examination fee<br>2. Date Sheet<br>3. Examination Centres<br>4. Change of Examination Centre<br>5. Requirements about examination; On Demand Examination; subject; and any type of correction | **Press for:**<br>1. Secondary Exam. Result<br>2. Senior Secondary Exam. Result<br>3. On-Demand Examination Result<br>4. Re-checking of Marks<br>5. Marks<br>6. Mark Sheet/Migration or Provisional Certificate<br>7. Duplicate documents | **Press for:**<br>1. Academic Courses offered by NIOS<br>2. Equivalency of NIOS Certificate<br>3. Medium of instruction<br>4. Sample Question Papers, Syllabus and previous year's Q.P.<br>5. Choice of subjects<br>6. Personal Contact Programme (PCP) | **Press for:**<br>1. Vocational Courses and fee charged<br>2. Accredited Vocational Institutes (AVIs)<br>3. Study Material<br>4. Examination and Evaluation process<br>5. Life Enrichment Courses | **Press for:**<br>1. Body Information<br>2. Substance Abuse<br>3. Relationship<br>4. Sexual Diseases | **Press for:**<br>1 Processing fee<br>2 Documents required<br>3 Process of accreditation<br>4 Status of Application for Accreditation | |

**Press * To go back to previous menu** | **Press 9 To speak to LSC executive**

# ओबीई कार्यक्रम के शिक्षार्थियों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
# FAQs for OBE Programme Learner

## 1. ओबीई कार्यक्रम- सामान्य जानकारी

**प्रश्न 1. ओबीई कार्यक्रम क्या है?**

उत्तर मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम एक समकक्षता कार्यक्रम है, जो तीन स्तरों पर अर्थात् स्तर क (कक्षा 3 के समकक्ष), स्तर ख (कक्षा 5 के समकक्ष) और स्तर ग (कक्षा 8 के समकक्ष) प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है । यह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओबीई) के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहा है।

**प्रश्न 2. मैं ओबीई कार्यक्रम की विवरणिका कहां से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ**

उत्तर विवरणिका एनआईओएस पोर्टल **https://www.nios.ac.in/student-information-section/prospectus.aspx** पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

**प्रश्न 3. क्या ओबीई कार्यक्रम औपचारिक स्कूली शिक्षा के समकक्ष है?**

उत्तर जी हाँ। (पृष्ठ 2 का पैरा 1.3 देखें)

**प्रश्न 4. क्या ओबीई कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है?**

उत्तर जी हाँ। (पृष्ठ 2 का पैरा 1.3 देखें)

**प्रश्न 5. ओबीई कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए कौन पात्र है?**

उत्तर योग्यता मानदण्ड के लिए कृपया पृष्ठ 3 का पैरा 1.6 देखें।

**प्रश्न 6. ओबीई कार्यक्रम कितने स्तरों पर कराए जाते हैं?**

उत्तर एनआईओएस ओबीई कार्यक्रम तीन स्तरों पर अर्थात् स्तर क (कक्षा 3 के समकक्ष), स्तर ख (कक्षा 5 के समकक्ष) और स्तर ग (कक्षा 8 के समकक्ष) पर कराता है।

**प्रश्न 7. क्या एनआईओएस का प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए मान्यता प्राप्त है?**

उत्तर जी हाँ, एनआईओएस का प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों तथा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए वैध है।

## 1. OBE programme - General Information

**Q1. What is the OBE programme?**

**A.** Open Basis Education programme is an equivalency programme, offering elementary education at three levels i.e. Level A (equivalent to class 3), Level B (equivalent to class 5) and Level C (equivalent to class 8). It is offering elementary education through open and distance learning (ODL).

**Q2 . Where can I get prospectus of the OBE programme?**

**A.** The prospectus is available online at NIOS portal, at **https://www.nios.ac.in/student-information-section/prospectus.aspx**

**Q3. Is the OBE programme equivalent to formal schooling?**

**A.** Yes. (Refer to page 2, para 1.3)

**Q4. Is the OBE programme recognized by the Govt. of India?**

**A.** Yes. ( Refer to page 2, para 1.3)

**Q5. Who is eligible to take admission in the OBE programme?**

**A.** Please see eligibility criteria at page 3, para 1.6.

**Q6. How many levels are offered in the OBE programme?**

A. NIOS offers OBE programme at three levels i.e. Level A (equivalent to class 3), Level B (equivalent to class 5) and Level C (equivalent to class 8).

**Q7. Is NIOS certificate valid for higher education and government jobs?**

**A.** Yes, NIOS certificate is valid for higher education, government jobs and for all other purposes.

**प्रश्न 8. क्या शिक्षार्थी ओबीई कार्यक्रम के किसी भी स्तर को पूरा करने के बाद औपचारिक स्कूल में प्रवेश लेने का/की पात्र है?**

उत्तर जी हाँ, ओबीई कार्यक्रम के किसी भी स्तर को पूरा करने के बाद एक शिक्षार्थी औपचारिक स्कूल में प्रवेश ले सकता/सकती है।

**प्रश्न 9. क्या सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) के लिए कोई प्रावधान है?**

उत्तर जी हाँ, सीडब्ल्यूएसएन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए एनआईओएस में विशेष प्रावधान हैं। (पृष्ठ 20 देखें)

**प्रश्न 10. एक प्रत्यायित एजेंसी और अध्ययन केंद्र के बीच क्या अंतर है?**

उत्तर दोनों एक ही हैं।

## 2. प्रवेश प्रक्रिया

**प्रश्न 1. ओबीई कार्यक्रम में प्रवेश के लिए समय सूची क्या है?**

उत्तर प्रवेश प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 15 सितंबर तक होते हैं।

**प्रश्न 2. प्रवेश/पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध है?**

उत्तर प्रवेश/पंजीकरण प्रत्येक स्तर पर पांच वर्ष के लिए वैध है।

**प्रश्न 3. क्या कोई शिक्षार्थी एनआईओएस में किसी भी स्तर पर सीधे प्रवेश ले सकता/सकती है?**

उत्तर जी हां, शिक्षार्थी एनआईओएस के ऑनलाइन पोर्टल https://sdmis.nios.ac.in पर सीधे पंजीकृत कर सकता/सकती है।

**प्रश्न 4. कोई शिक्षार्थी ओबीई कार्यक्रम में कैसे अपना पंजीकरण कर सकता/सकती है?**

उत्तर शिक्षार्थी सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकता/सकती है अथवा यदि आवश्यक हो, तो वह निकटतम क्षेत्रीय केंद्र, प्रत्यायित एजेंसी से भी मदद/सहायता ले सकता/सकती है।

## 3. आयु मानदंड

**प्रश्न 1. ओबीई (बच्चे) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु क्या है?**

उत्तर ओबीई कार्यक्रम (बच्चे) में प्रवेश के लिए उस वर्ष 31 मार्च तक न्यूनतम आयु 7 वर्ष और अधिकतम आयु 14 वर्ष है।

**प्रश्न 2. ओबीई (प्रौढ़) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु क्या है?**

उत्तर ओबीई (प्रौढ़) कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम

**Q8. Is a learner eligible to take admission in formal school after completion of any level of OBE program?**

A. Yes, a learner can take admission in formal school after completion of any level of OBE programme.

**Q9. Is there any provision for CWSN (Children with special needs)?**

A. Yes, NIOS has specific provisions for CWSN students to cater their needs. (Refer to page 20)

**Q10. Is there any difference between an accredited agency and study center?**

A. Both are the same.

## 2. Admission Process

**Q1. What is the admission time frame for the OBE programme?**

A. The admission starts from 1st April till 15th September every year.

**Q2. For how many years is an admission/ registration valid?**

A. Admission/ registration is valid for five years at each level.

**Q3. Can a student/learner take admission in NIOS directly at any level?**

A. Yes, a learner can be directly registered through the online portal of NIOS at **https://sdmis.nios.ac.in**

**Q4. How can a learner register himself/herself in the OBE programme?**

A. A learner can register for an OBE programme through an online portal or seek help /assistance from the nearest centre / Accredited agency, if required.

## 3. Age criteria

**Q1. What is the minimum and maximum age for admission in OBE (children) programme?**

A: Minimum age for admission is 7 years and maximum age 14 years as on 31st March of the year of admission.

**Q2. What is the minimum and maximum age for admission in OBE (adult) programme?**

A. Minimum age for admission is 14 years and no

आयु 14 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा के लिए कोई बाध्यता नहीं है। (विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ 3 देखें।)

## 4. शैक्षिक योग्यता एवं प्रक्रिया शुल्क

**प्रश्न 1. ओबीई कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है?**

उत्तर किसी भी स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

**प्रश्न 2. शिक्षार्थी किसी भी स्तर पर प्रक्रिया शुल्क कैसे जमा कर सकता/सकती है?**

उत्तर शिक्षार्थी प्रोसेसिंग शुल्क एनआईओएस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता/सकती है।

**प्रश्न 3. स्तर क, ख और ग का प्रक्रिया शुल्क क्या है?**

उत्तर शिक्षार्थी के लिए स्तर 'क' पर प्रक्रिया शुल्क 300/- रुपये, स्तर 'ख' पर 500/- रुपये और स्तर 'ग' पर 800/- रुपये है।

## 5. प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज़

**प्रश्न 1. ओबीई कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?**

उत्तर कृपया पृष्ठ 7 की तालिका 4 देखें।

## 6. पाठ्यचर्या और स्व अध्ययन

**प्रश्न 1. एक प्रत्यायित एजेंसी में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की समयावधि क्या है?**

उत्तर प्रति वर्ष जुलाई से जनवरी तक।

**प्रश्न 2. क्या किसी प्रत्यायित एजेंसी/अध्ययन केंद्र में नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है?**

उत्तर जी नहीं, प्रत्यायित एजेंसी में प्रति भाषा और शैक्षिक विषय के लिए न्यूनतम 50 घंटे और व्यावसायिक के लिए 80 घंटे (सिद्धांत के लिए 30 घंटे + प्रयोग के लिए 50 घंटे) उपस्थित होना आवश्यक है।

**प्रश्न 3. स्तर क और स्तर ख उत्तीर्ण करने के लिए कितने विषय आवश्यक होंगे?**

उत्तर स्तर क और स्तर ख पर शिक्षार्थी को कम से कम 4 विषय (एक भाषा + दो शैक्षिक विषय + एक पूर्व-व्यावसायिक विषय) उत्तीर्ण करने होंगे। (पृष्ठ-4 देखें)

**प्रश्न 4. ओबीई कार्यक्रम के स्तर 'ग' को उत्तीर्ण करने के लिए कितने विषय आवश्यक होंगे?**

उत्तर स्तर 'ग' पर शिक्षार्थी को कम से कम 5 विषय (1 भाषा + 3 शैक्षिक विषय + 1 पूर्व-व्यावसायिक) उत्तीर्ण करने होंगे। (पृष्ठ-4 देखें)

maximum age bar for taking admission in OBE (adult) programme. (For details Refer to page 3)

## 4. Education Qualification & Processing Charges

**Q1. What is the minimum educational qualification for admission in OBE programme?**

**A.** No minimum educational qualification is required at any level.

**Q2. How can a learner submit the processing charges at any level?**

**A.** A learner can submit processing charges online through NIOS website.

**Q3. What is the processing charge for admission at level A, B and C?**

**A.** The processing charge at level A is Rs 300, Level B is Rs 500 and level C is Rs 800.

## 5. Document Required for Admission

**Q1. What documents required for admission into the OBE programme?**

**A.** Please refer to Table 4, Page 7.

## 6. Curriculum and Self Learning Material

**Q1. What is the time period for conducting Personal Contact Programme in an accredited agency?**

**A.** From July to January every year.

**Q2. Is it necessary to attend regular class in an accredited agency/ study center?**

**A.** No, Minimum 50 hours per language and academic subject and for vocational 80 hrs (30 hrs for theory + 50 hrs for practical) are required to be attended at accredited agency.

**Q4. How many subjects will be required to qualify level A and level B?**

**A** A learner will be required a minimum 4 subjects (1 language + 2 academic + 1 prevocational to qualify Level A and B. (Refer to Page 4)

**Q5. How many subjects will be required to qualify level C of OBE programme?**

**A.** A learner will be required a minimum 5 subjects (1 language + 3 academic + 1 prevocational to qualify Level C. (Refer to Page 4)

**प्रश्न 5. प्रति विषय कितने घंटे अध्ययन की आवश्यकता है?**

**उत्तर** ओबीई कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के लिए प्रति विषय न्यूनतम 100 घंटे का अध्ययन आवश्यक है। पूर्व-व्यावसायिक विषयों के मामले में 150 घंटे (50 घंटे सिद्धांत + 100 घंटे व्यावहारिक) आवश्यक हैं।

**Q6. How many study hours per subject is required?**

**A.** The curriculum of OBE programme requires minimum 100 hours of study time per subject. In case of pre-vocational subjects 150 hours (50 hrs theory + 100 hrs practical) are required.

## 7. मूल्यांकन प्रणाली

## 7. Evaluation System

**प्रश्न 1. प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड क्या हैं?**

**उत्तर** एक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ग्रेड 'डी' आवश्यक है।

**Q1. What is the minimum passing grade in each subject?**

**A.** To pass a subject minimum grade 'D' is required.

**प्रश्न 2. शिक्षार्थी को प्रमाणपत्र कब प्राप्त हो सकता है?**

**उत्तर** शिक्षार्थी संबंधित स्तर के न्यूनतम उत्तीर्ण मानदण्ड को उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रमाणपत्र प्राप्त करने का पात्र होगा/होगी। (पृष्ठ-15 देखें)

**Q2. When can a learner get a certificate?**

**A.** A learner would be eligible for a certificate after qualifying the minimum passing criteria of the concerned level. (Refer page 15)

**प्रश्न 3. प्रवेश/पंजीकरण के बाद शिक्षार्थी परीक्षाओं में कब बैठ सकता/सकती है?**

**उत्तर** शिक्षार्थी विशिष्ट स्तर पर न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन के पश्चात् किसी भी स्तर की प्रथम परीक्षा में बैठ सकता/सकती है।

**Q3. When can learners appear in examinations after admission/registration?**

**A.** A learner can appear in first examination at any level after at least one year of study in the specific level.

**प्रश्न 4. ओबीई कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर (क, ख और ग) के लिए अध्ययन की न्यूनतम अवधि क्या है?**

**उत्तर** प्रत्येक स्तर (क, ख और ग) के लिए अध्ययन की न्यूनतम अवधि एक शैक्षिक वर्ष है।

**Q4. What is the minimum duration of study for each level (A, B and C) in the OBE programme?**

**A.** The minimum duration of study for each level (A, B and C) is an academic year.

**प्रश्न 5. ओबीई कार्यक्रम की परीक्षा का मूल्यांकन कौन करेगा?**

**उत्तर** एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशानुसार परीक्षा का मूल्यांकन प्रत्यायित एजेंसी/अध्ययन केंद्र द्वारा किया जाएगा।

**Q5. Who will evaluate the examination of the OBE program?**

**A.** Accredited agency/study center will evaluate the examination as per the guidelines provided by NIOS.

**प्रश्न 6. शिक्षार्थी को प्रमाणपत्र कौन जारी करेगा?**

**उत्तर** संबंधित स्तर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षार्थियों को एनआईओएस और प्रत्यायित एजेंसी/अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

**Q6. Who will issue the certificate to the learner?**

**A.** A joint certificate would be issued to the eligible candidates jointly signed by NIOS and accredited agency.

# विषय सूची


1. एनआईओएस: असीम अधिगम 1-7

1.1 एनआईओएस: एक परिचय
1.2 ओबीई कार्यक्रम: एक परिचय
1.3 शिक्षा का स्तर और मान्यता
1.4 ओबीई कार्यक्रम के स्तर
1.5 ओबीई कार्यक्रम के लिए बहु प्रवेश प्रणाली
1.6 लक्ष्य समूह
1.7 विशेषताएं और सुविधाएँ
1.8 अध्ययन की योजना

2. प्रवेश 8-20

2.1 ऑनलाइन प्रवेश
2.2 प्रवेश की अवधि
2.3 ऑनलाइन प्रवेश के लिए प्रक्रिया
2.4 क्षेत्रीय केंद्रों/ प्रत्यायित एजेंसियों (अध्ययन केंद्र) के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया
2.5 प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुल्क का स्वरूप
2.6 प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कैसे करें
2.7 प्रवेश रद्द करना
2.8 प्रवेश की पुष्टि
2.9 ई-सेवा के माध्यम से प्रवेश के बाद अन्य सुविधाएं
2.10 केवल ई-सेवा के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन की प्रक्रिया

3. अध्ययन प्रक्रिया 21-23

3.1 पाठ्यक्रम एवं स्व-अध्ययन सामग्री
3.2 ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के घंटे
3.3 शिक्षार्थी की प्रत्यायित एजेंसी/अध्ययन केंद्र के बारे में

4. मूल्यांकन प्रणाली 24-26

4.1 उपलब्धि सह स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना
4.2 प्रमाणन मानदंड
4.3 क्रेडिट संचयन
4.4 मूल्यांकन मानदंड (ग्रेडिंग का स्वरूप)
4.5 दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति जारी करना
4.6 अनुचित साधन (यूएफएम)

5. एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार) 27-34

5.1 प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ
5.2 सामान्य प्रावधान
5.3 विशिष्ट प्रावधान

परिशिष्ट-क 35-40
परिशिष्ट-ख 41-42
परिशिष्ट-ग 43-44

# Contents


**1. NIOS: Learning Beyond Boundaries** **1-7**

1.1 NIOS: An Introduction
1.2 OBE Programme: An Introduction
1.3 Standard of Education and Recognition
1.4 Levels of OBE Programme
1.5 Multiple Entry System for OBE Programme
1.6 Target Group
1.7 Features and Flexibilities
1.8 Scheme of Studies

**2. Admission** **8-20**

2.1 Online Admission
2.2 Admission Period
2.3 Procedure for Online Admission
2.4 Procedure for Online Admission through Regional Centres/AA (Study Centre)
2.5 Processing Charge Structure for Admission
2.6 How to Pay the Processing Charges
2.7 Cancellation of Admission
2.8 Confirmation of Admission
2.9 Other Facilities after admission through E-service
2.10 Procedure for correction in admission records through E-service only

**3. Instructional Process** **21-23**

3.1 Curriculum and Self Learning Material
3.2 Study hours under OBE Programme
3.3 About AA/Study Centre of the Learner

**4. Evaluation System** **24-26**

4.1 Issue of Achievement cum Transfer Certificate
4.2 Certification Criteria
4.3 Credit Accumulation
4.4 Evaluation Norms (Grading Pattern)
4.5 Issue of Duplicate Documents
4.6 Unfair Means (UFM)

**5. General and Specific Provisions (Disability wise) in the context of NIOS examination** **27-34**

5.1 Procedural Requirements
5.2 General Provisions
5.3 Specific Provisions

***Appendix –A*** **35-40**
***Appendix –B*** **41-42**
***Appendix –C*** **43-44**

# 1 एनआईओएसः सीमाओं से परे सीखना
# NIOS: Learning Beyond Boundaries

## 1.1 एनआईओएस : एक परिचय

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना 1989 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में की गई थी। यह ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है जो एक बेहतर भविष्य के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं। एनआईओएस का मिशन सबको शिक्षा प्रदान करना है तथा ऐसी बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी पुरुषों तथा महिलाओं, अनु.जा. और अनु.जन.जा., अक्षम व्यक्तियों और अन्य सुविधा वंचित व्यक्तियों को शिक्षित करना इसकी विशेष प्राथमिकता है, जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा पढ़ नहीं पाए हैं। एनआईओएस का उद्देश्य शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुंचाना है। एनआईओएस ने भारत भर के कारागारों में अध्ययन केंद्र स्थापित करके और शुल्क में पूर्ण छूट देकर कारागारों के कारावासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष पहल की है। एनआईओएस बीस क्षेत्रीय केंद्रों, तीन एनआईओएस प्रकोष्ठों तथा अध्ययन केंद्र कहे जाने वाले दस हजार से अधिक प्रत्यायित संस्थाओं (एआई), प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआई) और प्रत्यायित एजेंसियों (एए) के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसके केंद्र भारत, नेपाल और मध्य पूर्व के देशों में स्थित हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है।

## 1.2 ओबीई कार्यक्रम : एक परिचय

मुक्त बेसिक शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम जून 1994 में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे प्रौढ़ नव साक्षरों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। यह एक समकक्षता कार्यक्रम है जो ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत तीन स्तरीय शिक्षा

## 1.1 NIOS: An Introduction

The National Institute of Open Schooling (NIOS) was set up as the National Open School in 1989 by the Ministry of Education, Government of India, as an autonomous organisation. It provides educational opportunities to persons who wish to study further and qualify for a better tomorrow. The Mission of NIOS is to provide education to all with special concern for girls and women, rural youth, working men and women, SCs and STs, differently abled persons and other disadvantaged persons who because of one or other reason could not continue their education in the formal system of education. The aim of NIOS is to reach the unreached. The NIOS has taken special initiatives for imparting education to Jail Inmates by setting up Study Centres in Jails across the country and granting full fee exemption. The NIOS operates through a network of Twenty Regional Centres, Three NIOS Cell and more than Ten thousand Accredited Institutions (AIs), Accredited Vocational Institutions (AVIs) and Accredited Agencies (AAs) popularly known as Study Centres. These Centres are located in India, Nepal and Middle East Countries. For academic courses, admission is through Online only.

## 1.2 OBE Programme: An Introduction

The Open Basic Education (OBE) programme was initiated in June 1994 with the aim of providing primary and upper primary education through alternative means of open schooling to adult neo-literates who are not able to take advantage of the formal system of schooling. It is an equivalency programme and provides three tier education

प्रदान करता है यथा स्तर – 'क' (तीसरी कक्षा के समकक्ष), स्तर – 'ख' (पांचवीं कक्षा के समकक्ष) और स्तर – 'ग' (आठवीं कक्षा के समकक्ष) है। वर्ष 2000 में प्रत्यायित एजेंसियों (एए) की सहायता से 6–14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का प्रसार किया गया।

एनआईओएस हाशिए के ऐसे समूहों तक पहुँचता है जो भौतिक अथवा सामाजिक रुकावटों के कारण पहले स्कूल नहीं जा सके और प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा के लिए शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई का एक विकल्प प्रदान करता है। मुक्त शिक्षा प्रणाली के लचीले प्रावधानों से सुनिश्चित इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या काफी अधिक बनी रहती है, साथ ही शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर में भी वृद्धि होगी क्योंकि शिक्षार्थी अब अपनी गति से पढ़ाई करने में सक्षम होंगे। इस प्रयास से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी।

मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा आगे की शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए औपचारिक विद्यालय की शिक्षा के समकक्ष शिक्षा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों ने अपने स्कूल न जाने वाले बच्चों के साथ-साथ किशोरों और नवसाक्षर प्रौढ़ों के लिए इस कार्यक्रम में रुचि दर्शायी है। कुछ राज्यों में ओबीई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) के सतत शिक्षा योजना के अंतर्गत एक समकक्षता कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है।

## 1.3 शिक्षा और मान्यता का मानक

स्कूल शिक्षा के तीन राष्ट्रीय बोर्ड हैं जैसे एनआईओएस, सीबीएसई और सीआईएससीई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसे पूर्व स्नातक स्तर तक स्कूली शिक्षा प्रदान करने, परीक्षाएं आयोजित करने और प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया है। एनआईओएस द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

under OBE programme i.e. Level A (equivalent to class 3), Level B (equivalent to class 5) and Level C (equivalent to class 8). In the year 2000 the programme was extended to cover children between 6 to 14 years age group also with the help of Accredited Agencies (AAs).

NIOS reaches out to marginalized groups who may have been unable to attend school earlier, due to physical or social inaccessibility, by offering them an alternative channel through open and distance learning (ODL) mode of education for primary schooling. The flexibility of the open learning system will further ensure a higher retention rate as well as an increase in the learning achievement as learners would now be able to pace their learning. This exercise would provide high quality schooling to children with an aim to achieve universalisation of elementary education.

The Open Basic Education programme has been recognised by the Government of India as equivalent education to that of the formal school, for purposes of further education and employment. Different States have indicated their interest in the programme for their out of school children as well as for adolescent and adult neo literates. The OBE is offered in some states as an Equivalency Programme under the Continuing Education (CE) scheme of the National Literacy Mission (NLM).

## 1.3 Standard of Education and Recognition

There are three National Boards of School Education viz., NIOS, CBSE and CISCE. The National Institute of Open Schooling is an autonomous institution under the Ministry of Education, Government of India. It is vested with the authority to impart school education upto pre-university level, conduct examinations and award certificates. The certificates awarded by NIOS are recognised for higher education, Government jobs and for all other purposes.

## 1.4 ओबीईई कार्यक्रम के स्तर

## 1.4 Levels of OBE Programme

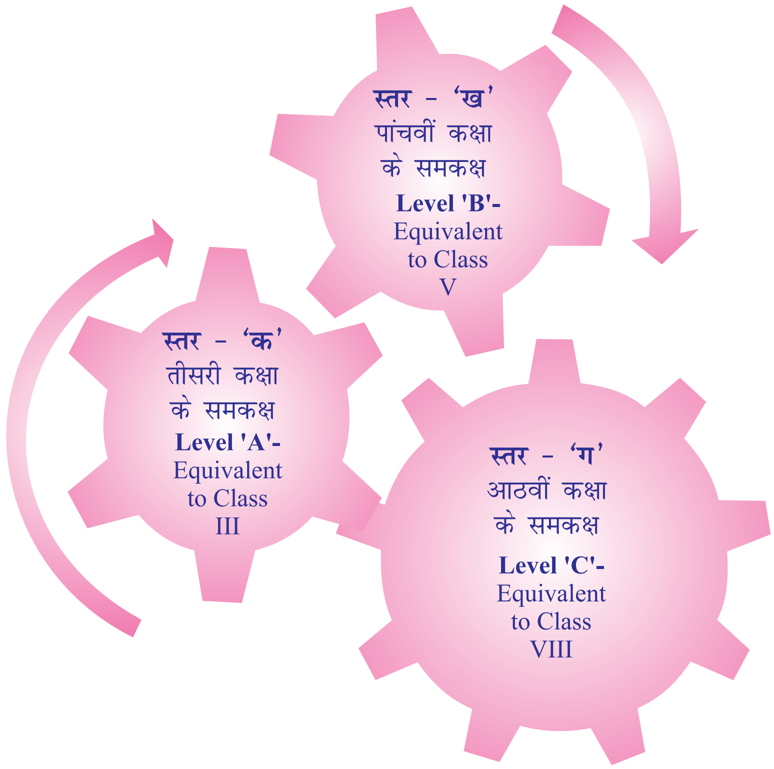


## 1.5 ओबीईई कार्यक्रम के लिए बहु प्रविष्टि प्रणाली

## 1.5 Multiple Entry System for OBE Programme

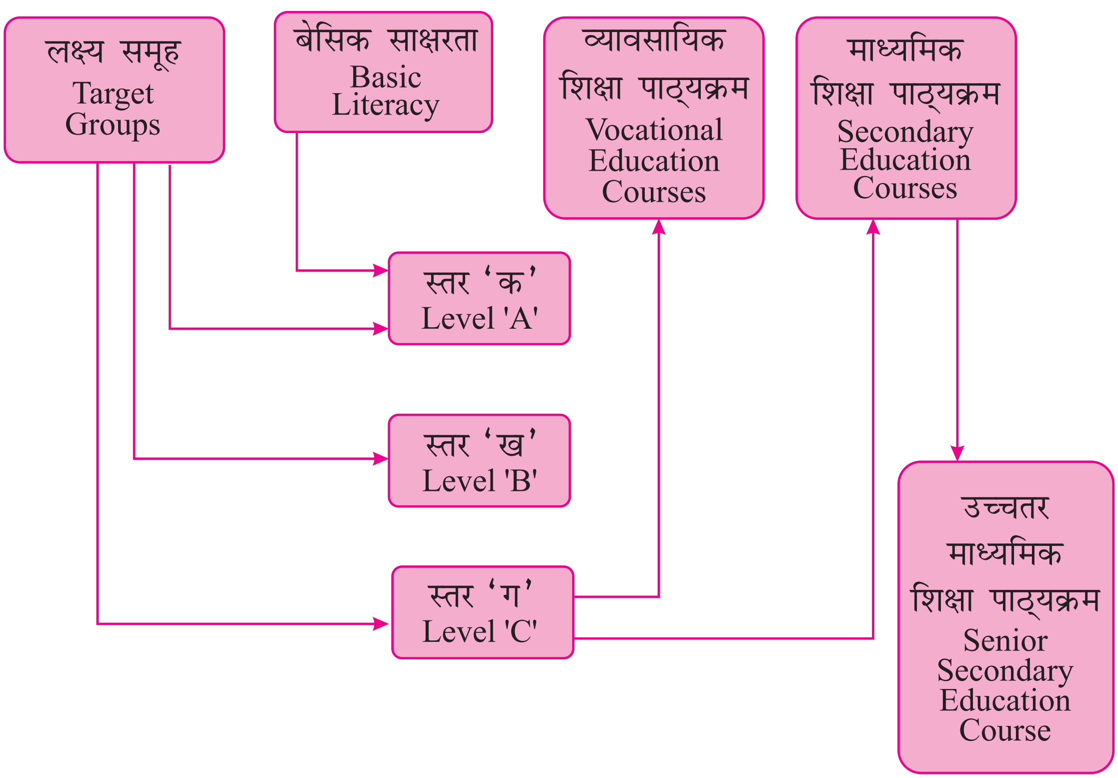

## 1.6 लक्ष्य समूह

यह कार्यक्रम 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों/प्रौढ़ों के लिए है। लक्ष्य समूह में 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के किशोरों और प्रौढ़ों के लिए किशोर एवं प्रौढ़ शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं -

### किशोर एवं प्रौढ़

- औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बीच में ही स्कूल छोड़ चुके बच्चे।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सतत शिक्षा योजना के नव-साक्षर।
- वंचित समूहों के व्यस्क जैसे अनुसूचित जातियाँ (अनु.जा.), अनुसूचित जनजातियाँ (अनु.ज.जा.), अल्पसंख्यक समूह, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्ति, खानाबदोश किशोर और प्रवासी जनसंख्या, विशेषकर महिलाएँ।
- जिन्होंने एनएलएमए एवं एनआईएलपी का बेसिक शिक्षा साक्षरता मूल्यांकन उत्तीर्ण किया है।

## 1.7 सुविधाएँ और लचीलापन

- पंजीकरण अवधि अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए मान्य है।
- हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू अथवा किसी भी क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में किसी भी भाषा को चुनने की सुविधा।
- ओबीई (प्रौढ़) प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु उस वर्ष के 31 मार्च को 14 वर्ष होनी चाहिए।
- मूल्यांकन, एनआईओएस द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशानुसार प्रत्यायित एजेंसियों (एए) द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक स्तर पर पहली परीक्षा प्रवेश वर्ष से अगले वर्ष में होगी।
- ओबीई शिक्षार्थियों के लिए क्रेडिट संचयन की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षार्थी प्रमाणपत्र के लिए तभी योग्य होगा/होगी जब वह संबंधित स्तर के लिए सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाए।
- प्रत्येक स्तर (क/ख/ग) के लिए अध्ययन की न्यूनतम अवधि एक शैक्षिक वर्ष है ।

## 1.6 Target Group

The programme is being conducted for children of 6-14 years age group and adolescents/adults of 14 years of age and above. The target group consists of following categories of learners for adolescents/adults of 14 years of age and above:

### Adolescents and Adults

- Dropouts from formal system of education
- Neo-literates of the National Literacy Mission's Continuing Education Scheme
- The adults of marginalized groups, in particular women such as Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), minority, Below Poverty Line (BPL) persons, nomads, migratory population and first generation learners
- Those who qualified the Basic Education Literacy Assessment of NLMA and NILP.

## 1.7 Features and Flexibilities

- Registration period valid for a maximum period of five years
- Flexibility of choosing any language as the medium of study from Hindi, English, Sanskrit, Urdu or any Regional Language
- Minimum age for admission of OBE (Adult) is 14 years as on 31st March of the year.
- Assessment by the Accredited Agencies (AAs) as per guidelines provided by NIOS
- First examination at any level in the next year from the year of admission
- The facility of credit accumulation is available for OBE learners. A learner would be eligible for the certificate only when he/she qualifies in all the subjects for the concerned level.
- The minimum duration of study for each level A/B/C is one academic year.

## 1.8 अध्ययन की योजना / Scheme of Studies

### तालिका 1 : ओबीई स्तर क, ख और ग के लिए अध्ययन योजना
### Table 1: Scheme of Studies for OBE at Level A, B and C

| स्तर 'क' | Level 'A' |
|---|---|
| न्यूनतम एक भाषा (समूह 1 से) + न्यूनतम 2 विषय (समूह 2 से) + न्यूनतम 1 पूर्व व्यावसायिक विषय (समूह-3 से) - कुल 4 विषय | Minimum 1 Language (from Group-1) + Minimum 2 Subjects (from Group-2) + Minimum 1 Pre Vocational Subject (from Group-3) - Total 4 Subjects |

| स्तर 'ख' | Level 'B' |
|---|---|
| न्यूनतम एक भाषा (समूह 1 से) + न्यूनतम 2 विषय (समूह 2 से) + न्यूनतम 1 पूर्व व्यावसायिक विषय (समूह-3 से) - कुल 4 विषय | Minimum 1 Language (from Group-1) + Minimum 2 Subjects (from Group-2) + Minimum 1 Pre Vocational Subject (from Group-3) - Total 4 Subjects |

| स्तर 'ग' | Level 'C' |
|---|---|
| न्यूनतम एक भाषा (समूह 1 से) + न्यूनतम 3 विषय (समूह 2 से) + 1 पूर्व व्यावसायिक विषय (समूह-3 से) - कुल 5 विषय | Minimum 1 Language (from Group-1) + Minimum 3 Subjects (from Group-2) + Minimum 1 Pre Vocational Subject (from Group-3) - Total 5 Subjects |

***नोट:*** *प्रत्येक विषय को एक विषय कोड दिया गया है। विषय कोडों की सूची* ***तालिका-2*** *में दी गई है।*

i. एक शिक्षार्थी न्यूनतम एक अथवा अधिक भाषा (अधिकतम तीन भाषाए) सहित **अधिकतम सात विषय** ले सकता/सकती है।

ii. शिक्षार्थी स्तर 'ख' और 'ग' पर एक अतिरिक्त व्यावसायिक विषय लेने के लिए स्वतंत्र है।

***Note:*** *Each subject has been given a subject code. List of subject codes is given in* ***Table 2***

i. A learner can take upto maximum **seven subjects** including minimum one language or more (Maximum three languages).

ii. A learner has freedom to opt for one additional Vocational subject at levels 'B' and 'C'.

## तालिका 2 : स्तर क, ख और ग के विषय
## Table 2: Subjects at Level A, B and C

| क्र.सं. S.No. | विषय Subject | कोड Code | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 'क' Level 'A' | स्तर 'ख' Level 'B' | स्तर 'ग' Level 'C' |
| **समूह 1 - भाषाएँ/Group 1 - Languages** | | | | |
| 1. | हिंदी/Hindi | A101* | B101* | C101* |
| 2. | अंग्रेजी/English | A109 | B109 | C109* |
| 3. | बंगाली/Bengali | A110 | B110 | C110 |
| 4. | मराठी/Marathi | A111 | B111 | C111 |
| 5. | तेलुगू/Telugu | A112 | B112 | C112 |
| 6. | उर्दू/Urdu | A113 | B113 | C113 |
| 7. | गुजराती/Gujarati | A114 | B114 | C114 |
| 8. | कन्नड़/Kannada | A115 | B115 | C115 |
| 9. | संस्कृत/Sanskrit | A116* | B116* | C116* |
| 10. | पंजाबी/Punjabi | A117 | B117 | C117 |
| 11. | तमिल/Tamil | A118 | B118 | C118 |
| 12. | उड़िया/Oriya | A119 | B119 | C119 |
| 13. | मलयालम/Malayalam | A120 | B120 | C120 |
| 14. | असमिया/Assamese | A121 | B121 | C121 |
| 15. | कश्मीरी/Kashmiri | A122 | B122 | C122 |
| 16. | कोंकणी/Konkani | A123 | B123 | C123 |
| 17. | डोगरी/Dogari | A124 | B124 | C124 |
| 18. | नेपाली/Nepali | A125 | B125 | C125 |
| 19. | बोडो/Bodo | A126 | B126 | C126 |
| 20. | मणिपुरी/Manipuri | A127 | B127 | C127 |
| 21. | मैथिली/Maithili | A128 | B128 | C128 |
| 22. | संथाली/Santhali | A129 | B129 | C129 |
| 23. | सिंधी/Sindhi | A130 | B130 | C130 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **समूह 2 - शैक्षिक विषय/Group 2 - Academic Subjects** | | | | |
| 24. | पर्यावरण अध्ययन/Environmental Studies | A102* | B102* | - |
| 25. | गणित/Mathematics | A103* | B103* | C103* |
| 26. | सामाजिक विज्ञान/Social Science | - | - | C102* |
| 27. | विज्ञान/Science | - | - | C105* |
| 28. | बेसिक कम्प्यूटर कौशल/Basic Computer Skills | A104* | B104* | C104* |
| 29. | वेद/Veda | A145# | B145# | C145# |
| 30. | विज्ञान – भारतीय ज्ञान परंपरा/ Vijnana - Bharatiya Jnana Parampara | A146# | B146# | C146# |
| 31. | योग/Yoga | A147# | B147# | C147# |
| **समूह 3 - पूर्व-व्यावसायिक विषय/Group 3 - Pre-Vocational Subjects** | | | | |
| 32. | कटाई, सिलाई एवं पोशाक निर्माण/ Cutting, Tailoring and Dress Making | A106* | B106 | C106* |
| 33. | सौंदर्य संवर्द्धन/Beauty Culture | A107 | B107 | C107 |
| 34. | खाद्य संसाधन/Food Processing | A108 | B108 | C108 |
| 35. | खिलौना निर्माण/Toy Making | A131 | B131 | C131 |
| 36. | चित्रकला/Painting | A132 | B132 | C132 |
| 37. | मधुमक्खी पालन/Bee Keeping | A133 | B133 | C133 |
| 38. | कला और शिल्प/Art and Craft | A134 | B134 | C134 |
| 39. | फर्नीचर निर्माण/Furniture Making | A135 | B135 | C135 |
| 40. | बांस शिल्प कला/Bamboo Craft | A136 | B136 | C136 |
| 41. | वर्मी कम्पोस्टिंग/Vermicomposting | A137 | B137 | C137* |
| 42. | कृषि/Agriculture | A138 | B138 | C138 |
| 43. | बेकरी/Bakery | A139 | B139 | C139 |
| 44. | स्वास्थ्य और हमारा भोजन/ Health and our Food | A141 | B141 | C141 |
| 45. | फूलों की खेती/Flower Farming | A142 | B142 | C142 |
| 46. | शिशु देखभाल सहायता/Child Care Assistance | A143 | B143 | C143 |
| 47. | व्यावसायिक कौशल/Vocational Skills | A149# | B149# | C149# |

**नोट :**

1. * - आदर्श स्व-अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है।
2. # - आदर्श स्व-अध्ययन सामग्री हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है।

**Note:**

1. * - Exemplar SLM is available in Hindi and English medium.
2. # - Exemplar SLM is available in Hindi, Sanskrit and English medium.

2

# प्रवेश
# Admission

एनआईओएस ओबीई कार्यक्रम के तीनों स्तरों पर अपने शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है :

NIOS offers Online admission facility to its learners at all three levels of OBE Programme. The detailed procedure for Online Admission is given below:

## 2.1 ऑनलाइन प्रवेश

प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु शिक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in तथा एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल www.sdmis.nios.ac.in के माध्यम से प्रवेश 100% ऑनलाइन हैं। शिक्षार्थी ओबीई कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सीधे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षार्थी के पास तीन विकल्प हैं :

i. **भाग 2.3** में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सीधे ऑनलाइन पंजीकरण करें।

ii. निकटतम प्रत्यायित एजेंसी (अध्ययन केंद्र) पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता लें। मान्यता प्राप्त प्रत्यायित एजेंसियों (एए) की सूची एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii. एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर जाएं और ऑनलाइन प्रवेश के लिए उनकी मदद लें। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची **परिशिष्ट-क** में है।

## 2.1 Online Admission

Admissions are 100% Online through website www.nios.ac.in and the Student Portal of NIOS www.sdmis.nios.ac.in in order to facilitate the learners to register for admission. Learner can directly register Online by following the procedure laid down for OBE Programme.

Under this programme, the learner has three options :

i. Register Online directly by following the procedure laid down in **Section 2.3**.

ii. Visit nearest AA (Study Centre) and take their help for Online registration. The list of Accreditated Agencies (AAs) is available on NIOS website.

iii. Visit the concerned Regional Centre of NIOS and take its help for online-registration. The list of Regional Centres is at **Appendix-A**.

## 2.2 प्रवेश की अवधि

ऑनलाइन प्रवेश स्तर क, ख और ग के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार सभी शिक्षार्थियों के लिए खुला है। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश की अवधि निम्नानुसार है :

## 2.2 Admission Period

The Online Admission is open for all the learners as per the laid down eligibility criteria for the Level A, B and C. Admission period for session 2024-25 is as follows:

### तालिका 3 : ऑनलाइन प्रवेश के लिए तिथियां
### Table 3: Dates for Online Admission

| स्तर<br>**Level** | ऑनलाइन प्रवेश की तिथियाँ<br>**Dates of Online Admission** | परीक्षा जिसमें शिक्षार्थी पहली बार परीक्षा में बैठ सकते हैं।<br>**Examination in which the learners can appear first time** |
|---|---|---|
| **क/ख/ग** | 1 अप्रैल, 2024 से 15 सितंबर, 2024 | फरवरी, 2025 |
| **A/B/C** | From 1st April, 2024 to 15th September, 2024 | February, 2025 |

## 2.3 ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया

एनआईओएस की वेबसाइट **www.nios.ac.in** अथवा एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल **www.sdmis.nios.ac.in** पर लॉग ऑन करें और निर्देशों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले तालिका - 4 में उल्लिखित प्रवेश आवश्यकताओं के अनुसार स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर तथा प्रासंगिक दस्तावेज़ और सभी आवश्यक जानकारी तैयार रखें। शिक्षार्थी वैध मोबाइल नंबर/वैध ई-मेल आईडी के साथ तैयार रहें।

## 2.3 Procedure for Online Admission

Log on to NIOS website **www.nios.ac.in** or the Student Portal of NIOS **www.sdmis.nios.ac.in** and read the instructions and procedures carefully and keep ready all the necessary information and scanned image(s) of Photograph, Signature and relevant Document as per Entry Requirements mentioned in Table-4 before filling the Online Application Form. Learner should also be ready with valid Mobile Number/valid e-mail ID.

## तालिका 4 : प्रवेश के लिए आवश्यक

| प्रवेश की आवश्यकता | आवश्यकता/तिथियाँ | टिप्पणी |
|---|---|---|
| क. प्रवेश स्तर<br>क<br>ख<br>ग | किसी भी स्तर पर न्यूनतम आयु 14 वर्ष से अधिक | 31 मार्च, 2024 को शिक्षार्थी की न्यूनतम आयु पूरी होनी चाहिए |
| ख. प्रवेश की अंतिम तिथि | 15 सितंबर, 2024 | |
| ग. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | किसी भी स्तर पर किसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है | |
| घ. जन्म तिथि के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज | 1. नगर निगम प्राधिकरण अथवा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय द्वारा जारी 26.01.1989 को या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए किया गया जन्म प्रमाण पत्र।<br>अथवा<br>2. भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट<br>अथवा<br>3. पिछले विद्यालय से प्राप्त मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र/विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। सरकारी विद्यालयों के मामले में स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि निजी स्कूलों के मामले में, वह राज्य/या जिला शिक्षा अधिकारी के सक्षम शिक्षा प्राधिकरण द्वारा अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।<br>अथवा<br>4. भारत सरकार की संबंधित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड | नोट :<br>i. अनाथ/किशोर/फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा (सर्टिफिकेट) अथवा आधार कार्ड की प्रति के साथ चिकित्सा विधि प्रमाणपत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।<br>ii. जन्म प्रमाणपत्र न होने पर, गांव के सरपंच/नगर निगम/नगर परिषद का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।<br>iii. एक बार प्रवेश फॉर्म में दी गई जन्मतिथि बदली नहीं जाएगी। कृपया ध्यान रखें और प्रवेश फॉर्म में सही जन्म तिथि लिखें। |
| ड. निवास का प्रमाण | **सभी के लिए आवासीय पते का प्रमाण आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी एक की एक प्रति संलग्न करें।**<br>1. आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड अथवा पानी/टेलीफोन/बिजली बिल। नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता/अभिभावक का पासपोर्ट।<br>2. किराए के आवास में रहने वाले शिक्षार्थी के लिए, माता-पिता/अभिभावक के नाम पर वर्तमान किराए के आवास के किसी भी प्रमाण के साथ स्थायी पते का कोई प्रमाण स्वीकार किया जाएगा।<br>3. फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों/निराश्रितों/प्रवासियों/झुग्गियों में रहने वाले/अनाथ बच्चे, जिनका वर्तमान में कोई आवासीय पता नहीं है, वे श्रेणी बताते हुए (ऊपर उल्लिखित) स्व-प्रमाणपत्र प्रदान करें और प्रमाणित करें कि उनका कोई आवासीय पता नहीं है। यद्यपि एनआईओएस के साथ पत्राचार के उद्देश्य से, ऐसे शिक्षार्थी को एक संपर्क पता देना होगा। स्व-प्रमाण पत्र प्रत्यायित एजेंसियों/गैर सरकारी संगठन/अनाथालय के साथ-साथ प्रायोजक अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और सरकारी कार्मिक/ पंचायत स्तर के अधिकारी/ नगर निगम अधिकारी/ ब्लॉक स्तर के अधिकारी/जिला स्तर के अधिकारी या उच्च स्तर के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। | i. ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म आवश्यक सहायक दस्तावेजों को अपलोड किए बिना रद्द कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।<br>ii. यदि किसी शिक्षार्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण किसी अन्य बोर्ड द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है तो वह एनआईओएस में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।<br>iii. यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित जानकारी छुपाता है, तो अंतिम चरण में भी प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। |
| च. अन्य दस्तावेज | निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रति :<br>i. पासपोर्ट आकार का अद्यतन रंगीन फोटो<br>ii. शिक्षार्थी के हस्ताक्षर (बेहतर हो कि काली स्याही में)<br>iii. अक्षमता प्रमाणपत्र (यदि किसी प्रकार की अक्षमता है तो) | |

## Table 4: Entry Requirements

| Entry Requirement | Requirements/Dates | Remarks |
|---|---|---|
| A. AdmissionLevel A, B and C | Minimum age – Above 14 years at any level | Learner should have completed the minimum age as on 31st March, 2024 |
| B. Last date for admission | 15th September, 2024 | |
| C. Minimum Educational Qualification | No minimum educational qualification is required at any level | |
| D. Essential Supporting Documents for Date of Birth | 1. Birth Certificate issued by the Municipal Authority or District Office of the Registrar of Birth and Deaths for those born on or after 26.01.1989.<br>OR<br>2. Passport Issued by Govt. of India<br>OR<br>3. Original Transfer Certificate/School Leaving Certificate showing applicant's date of birth, issued by the school last attended by the applicant. In case of Govt. schools, the Transfer Certificate/School Leaving Certificate should be signed by the Principal while in the case of Private schools, it should also be countersigned by the competent education authority of the State/or District Education Officer.<br>OR<br>4. Aadhaar Card issued by the concerned Agency of Govt. of India | **Note:**<br>i. In case of Orphan/Juvenile/Street Children, the Medical Legal Certificate alongwith an Affidavit issued by First class Magistrate or copy of Aadhaar Card has to be provided as proof of Date of Birth.<br>ii. In the absence of Birth Certificate, a certificate attested by Village Sarpanch/authorised signatory of Municipal Corporation/Municipal Council should be attached.<br>iii. Date of birth once given in the Admission Form shall not be changed. Please check and state the correct date of birth in the Admission Form. |
| E. Proof of Residence | **Proof of residential address is essential for all. Attach a copy of any one of the following.**<br>1. Ration Card, or Aadhar Card, or Appointment Letter from the Employer on Letter Head, or Water/Telephone/ Electricity Bill/Statement of running Bank Account or Income Tax Assessment Order/ Election Commission's Voter Identity Card, Parents Passport in case of minor.<br>2. For the learner living in a rented accommodation, any proof of permanent address along with any proof of present rented accommodation will be accepted.<br>3. A learner belonging to the category of street children/ destitute/migrants/slum dwellers/orphans not having any residential address at present will have to furnish a self certificate stating the category (mentioned above) and certify that he/she do not have own residential address. However, for the purpose of correspondence with NIOS, such learner will have to furnish a contact address. The self certificate has to be countersigned by the AA/ NGO/ Orphan Home with complete name, designation and address along with their official stamp. | i. Online Admission Form without uploading required supporting documents will be rejected and fee will not be refunded.<br>ii. In case a learner has been debarred by any other Board for using unfair means at any stage, he/she will not be eligible for admission in NIOS.<br>iii. In case a learner conceals the requisite information, admission will be cancelled, even at later stage. |
| F. Other documents | Original scanned copy of:<br>i. Recent Passport size colour Photograph<br>ii. Signature of learner (preferably in Black Ink).<br>iii. Disability Certificate (in case of having any kind of disability) | |

ii. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:

क. कृपया ध्यान रखें कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश चक्र की अंतिम तिथि पर बंद हो जाएगा। प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने वाले शिक्षार्थी आवेदन फॉर्म के साथ अथवा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के अंदर शुल्क का भुगतान करें। यदि कोई शिक्षार्थी प्रवेश चक्र की अंतिम तिथि को ऑनलाइन ओवदन फॉर्म जमा करता/करती है, तो ऐसे शिक्षार्थी को शुल्क का ऑनलाइन भुगतान चक्र की अंतिम तिथि के पांच दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।

ख. दस्तावेजों के सत्यापन, प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा दी गई जानकारी के सफलापूर्वक सत्यापन के बाद प्रवेश की पुष्टि की जाएगी और एक नामांकन संख्या दी जाएगी। एनआईओएस द्वारा प्रवेश की पुष्टि के पश्चात शिक्षार्थी के साथ ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

ग. यदि ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता है तो शिक्षार्थी को फिर से ट्रांजेक्शन करना होगा।

घ. शिक्षार्थी पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए नाम और पासवर्ड का प्रयोग कर एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल (sdmis.nios.ac.in) पर लॉगइन कर नियमानुसार बाद में भुगतान कर सकते हैं।

ड. शिक्षार्थी के लॉगइन में डैशबोर्ड, ई-सेवाओं के माध्यम से शिक्षार्थी संबंधी सभी गतिविधियों के प्रबंधन की अनुमति देगा।

च. शिक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित अनुभागों में सही और प्रामाणिक जानकारी दें तथा वैध, प्रामाणिक और संबंधित रंगीन फोटो/रंगीन दस्तावेज़ अपलोड करें। भुगतान करने के बाद आवेदन फार्म में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधूरी/गलत जानकारी प्रस्तुत करना या अप्रासंगिक फोटो/दस्तावेज़ अपलोड करने से एनआईओएस किसी

ii. Important points to consider while filling the Application Form Online:

a. Please note that online Registration for Admission closes on the last date of admission cycle. A learner submitting application form for Admission is required to make payment of Processing Charges either with the Application or within 10 days of submitting the application online. In case, a learner submits online application form admission towards the closing date of admission cycle, then such learner is required to make online payment of the charges within five days of the closing date of the cycle.

b. After successful verification of the documents, Processing Charges and the information submitted by the learner during registration, the admission will be confirmed and an Enrolment Number will be generated. Appropriate communication will be sent to the learner through email and SMS after the admission is confirmed by NIOS.

c. If the transaction fails, then the learner has to make the transaction again.

d. The learner can make the payment later as per norms by logging into the Student Portal of NIOS (sdmis.nios.ac.in) using the User Name and Password Sent to the registered email.

e. The dashboard in the learner's login will permit management of all the student related activities through e-services.

f. The learner is advised to furnish correct and authentic information and to upload valid, authentic and relevant color photo/color documents in the respective sections in the Application Form. No changes shall be permitted in the Application Form after the payment is done. Furnishing incomplete/ wrong information or uploading irrelevant

भी समय पंजीकरण/प्रवेश रद्द करने की कार्रवाई करेगा। ऑनलाइन प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए शिक्षार्थी lsc@nios.ac.in को ई-मेल कर सकते हैं।

छ. शिक्षार्थी को आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ों की हार्ड प्रति भेजने/जमा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई मूल प्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि एनआईओएस प्रबंधन को आवश्यकता होगी अथवा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र/दस्तावेज़ में कोई विसंगति पाई जाएगी, तो शिक्षार्थी को दस्तावेजों और फोटो के साथ मुद्रित आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि इसकी आवश्यकता होगी तो इस बारे में शिक्षार्थी को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

Photo/Documents will result in NIOS taking action to cancel the Registration/Admission at any point of time. For queries regarding online admission, the learner can e-mail to lsc@nios.ac.in.

g. The learner is not required to send/submit the hard copy of the Admission form and the documents but it is mandatory to upload the original scanned copy of required documents online. If required by NIOS Management or if any other discrepancy is found in the submitted online Application Form/ Documents, the learner shall be required to submit the printed application form along with the Documents and Photograph. This requirement will be communicated to him/ her through email and SMS.

एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर और एक पते का उपयोग अधिकतम तीन शिक्षार्थियों के लिए किया जा सकता है।

One email address can be used only once and one Mobile Number and one Address can be used for registration of maximum three learners.

शिक्षार्थी के लिए उपयोगकर्ता का नाम और एक पासवर्ड बनाया जाएगा और इसका विवरण उस प्रमाणित/ई-मूल पते पर भेजा जाएगा, जिसका उल्लेख शिक्षार्थी के बेसिक विवरण में किया गया था। ई-मेल में आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देश भी होंगे। उपयोगकर्ता संबंधी जानकारी (उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड) को सुरक्षित रखें।

A User Name and a Password will be created for the learner and the details will be sent to the authenticated email address which was mentioned in the basic details of the learner. This email will also contain the instructions for further processing. Keep the user Credentials (user name and Password) safe.

# राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) मुक्त बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में ऑन-लाइन प्रवेश की प्रक्रिया की चित्रात्मक प्रस्तुति

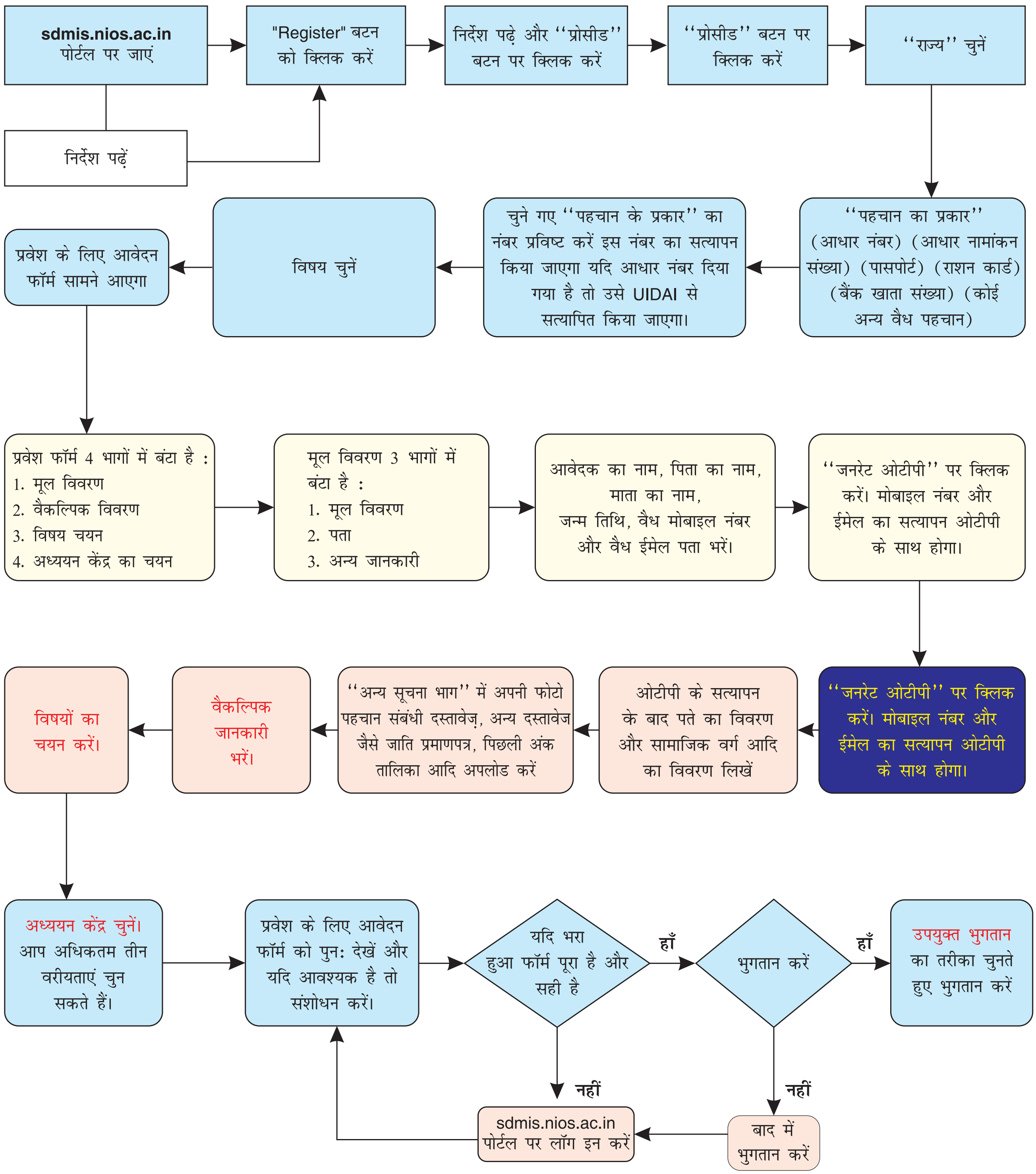

## National Institute of Open Schooling (NIOS)
## Diagrammatic Presentation of the Process of Online Admission in the OBE Programme, Level A, B and C

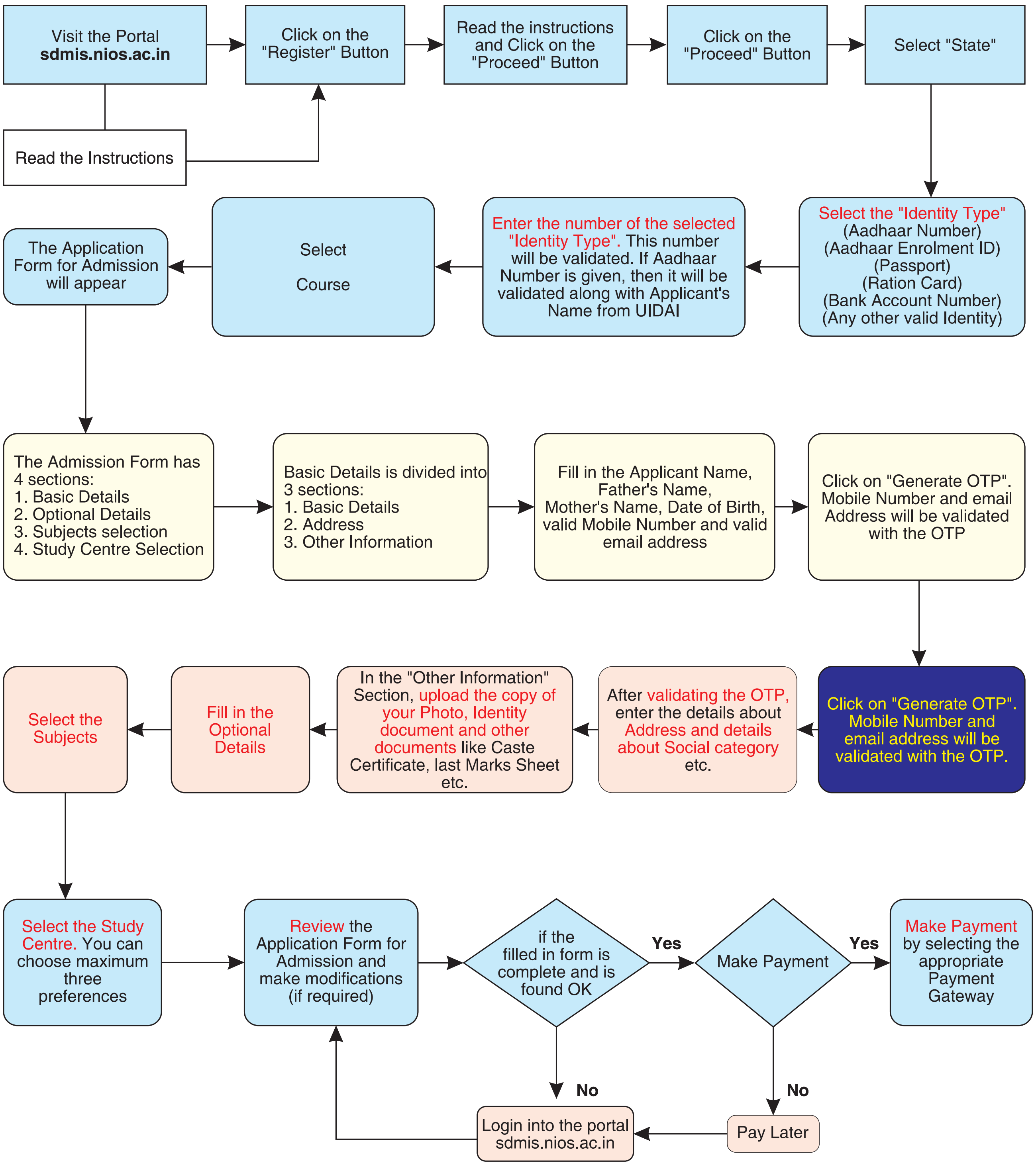

## 2.4 क्षेत्रीय केंद्रों/प्रत्यायित एजेंसियां (अध्ययन केंद्र) के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया

एनआईओएस की सभी प्रत्यायित एजेंसियों (अध्ययन केंद्रों) को अधिकार है कि वे ऑनलाइन प्रवेश कराने वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, काउंटर खोलें। वे प्रवेश-पूर्व परामर्श और एनआईओएस की सुविधाओं के बारे में भी शिक्षार्थियों की सहायता करेंगी। प्रत्यायित एजेंसी (एए) उपर्युक्त भाग 2.3 में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे।

## 2.5 प्रवेश के लिए प्रोसेसिंग शुल्क संरचना

पंजीकरण, प्रवेश के लिए सत्यापन, डाटा प्रोसेसिंग, परीक्षाओं की मॉनिटरिंग, परिणाम, डेटा की प्रोसेसिंग, संयुक्त प्रमाणपत्र तैयार करना और शिक्षार्थियों को जारी करने के लिए उन्हें एए को भेजने हेतु प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है। स्तर के अनुसार शुल्क है :

**तालिका 5: स्तरवार प्रक्रिया शुल्क**

| स्तर | प्रति शिक्षार्थी शुल्क (रु. में) |
|---|---|
| 'क' | 300* |
| 'ख' | 500* |
| 'ग' | 800* |

* *उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन ट्रांसेक्शन के लिए रु.50/- का भुगतान किया जाएगा।*

## 2.4 Procedure for Online Admission through Regional Centres/AA (Study Centre)

All AAs (Study Centres) of NIOS are authorised to open an Online Registration Counter for facilitating learners to take Online admission. They will also help learners in pre-admission counseling and features of NIOS. **The AA will follow the same procedure for Online registration as mentioned in section 2.3 above.**

## 2.5 Processing Charge Structure for Admission

The processing charge is charged for Registration, verification of admission, data processing, monitoring of examinations, processing of result data, preparation of Joint Certificates and sending them to AAs for issuing to learners. The level wise charges are:

**Table 5: Level Wise Processing Charge**

| Level | Charges (in Rs.) per learner |
|---|---|
| 'A' | 300* |
| 'B' | 500* |
| 'C' | 800* |

* *In addition to the above Rs. 50/- will be admissible for every online transactions*

**प्रक्रिया शुल्क में अध्ययन सामग्री का मूल्य शामिल नहीं है क्योंकि यह एनआईओएस द्वारा प्रदान नहीं की जाती।**

**Processing Charges does not include the price of Study Material as it is not provided by NIOS.**

## 2.6 प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान कैसे करें?

शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग, उपलब्ध भुगतान माध्यमों द्वारा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

## 2.7 प्रवेश रद्द होना

शिक्षार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा यदि :

i. दिया गया प्रोसेसिंग शुल्क कम हो;

ii. सहायक दस्तावेज़ सही न हों,

iii. जाली कागजात जमा किए गए हैं, यदि त्रुटिपूर्ण और गलत जानकारी दी गई हो।

**नोट :**

क. एक बार प्रवेश रद्द करने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

ख. एक बार भुगतान किया गया प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

## 2.8 प्रवेश की पुष्टि

i. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट स्तर में प्रवेश की पुष्टि के लिए शिक्षार्थी को एनआईओएस के रिकॉर्ड के अनुसार ऑनलाइन पहचान पत्र भेजा जाएगा जिसमें शिक्षार्थी का विवरण होगा। यदि इसमें प्रवेश लेने के बाद किसी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, यहां तक कि यदि पहचान पत्र जारी भी कर दिया जाता है, तब भी, शिक्षार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और यदि शिक्षार्थी परीक्षा में भी बैठ जाते हैं, तब भी उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा।

ii. कृपया पहचान पत्र में दिए गए अपने विवरण की जांच कर लें। यदि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो इत्यादि में कोई विसंगति है तो इसे ई-सेवा के माध्यम से तुरंत ठीक कराएं। शिक्षार्थी अपना पहचान पत्र, एनआईओएस में अध्ययन पूर्ण होने तक संभालकर रखें।

## 2.6 How to Pay the Processing Charges

The fee can be deposited Online through Credit Card /Debit Card/Net Banking, available Payment Gateways.

## 2.7 Cancellation of Admission

Learner's admission will be cancelled in case:

i. The Processing charge paid is short,

ii. The supporting documents are not appropriate,

iii. False documents have been submitted, if incorrect or wrong information is given,

**Note:**

a. Admission once cancelled will not be re-considered.

b. Processing charge once paid will not be refunded on any account.

## 2.8 Confirmation of Admission

i. Admission to a particular level is confirmed by NIOS by issuing an online Identity Card having learner's admission particulars as per the record available in NIOS. In case any discrepancy is noticed at any stage of admission and even if the Identity Card has been issued, the admission will be cancelled and result will not be declared even if the learners appeared in examination.

ii. Do check the particulars given in the Identity Card. In case, there is any discrepancy in learner's personal details, address, photo etc., the same should be corrected through e-service immediately. The Learner should retain the Identity Card carefully till completion of study in NIOS.

iii. प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन केवल नियमानुसार (जो एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।) ही किया जाएगा।

## 2.9 प्रवेश के बाद ई-सेवाओं के माध्यम से अन्य सुविधाएं

ई-सेवाओं के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं :

i. पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करना।

ii. विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय

iii. अध्ययन केंद्र/प्रत्यायित एजेंसी बदलना

iv. दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति जारी करना

v. नाम, पिता का नाम, माता का नाम और/अथवा अभिभावक के नाम में नाम मात्र संशोधन

vi. शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन

vii. जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक के नाम में परिवर्तन।

## 2.10 केवल ई-सेवाओं के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन की प्रक्रिया

एनआईओएस द्वारा किसी विशेष स्तर में प्रवेश की पुष्टि एक ऑनलाइन पहचान पत्र जारी करके की जाती है जिसमें शिक्षार्थी का नाम, जन्म तिथि, चुने गए विषयों आदि का विवरण होता है। ये विवरण वही हैं जो शिक्षार्थी ने एनआईओएस में प्रवेश लेते समय भरे थे। शिक्षार्थी से अनुरोध है कि वे एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल **www.sdmis.nios.ac.in** पर अपना विवरण तुरंत जांच लें।

यदि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो इत्यादि में कोई विसंगति है तो इसे ई-सेवाओं के माध्यम से संशोधित कराया जाए। रिकॉर्ड संशोधन हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

iii. The Correction in the Admission Record will be made as per rules only (which are available on NIOS website).

## 2.9 Other Facilities after Admission through E-services

Services which can be availed through e-services are:

i. Issue of Duplicate Identity Card

ii. Change of Subject/Additional Subject

iii. Change of Study Centre/AA

iv. Issue of Duplicate Documents

v. Minor Corrections in Spelling of Name, Father's Name, Mother's Name and/or Guardian's Name

vi. Change of learner's name

vii. Correction of Date of Birth, Name, Father's Name, Mother's Name, Guardian's Name

## 2.10 Procedure for Correction in the Admission Records through e-services only

The admission to a particular level is confirmed by NIOS by issuing an online Identity Card having details of Learner's Name, Date of Birth, Subjects opted etc. These details are the same as filled in by the learner at the time of admission in NIOS. The learner is requested to check the details immediately on the Student Portal of NIOS **www.sdmis.nios.ac.in**.

In case, there is any discrepancy in learner's personal details, address, photo etc., the same should be corrected through e-services. The norms for correction of records are as follows:

# तालिका 6 : अभिलेखों में सुधार के लिए मानदण्ड

| क्रम संख्या | संशोधन | मानदण्ड | संशोधन |
|---|---|---|---|
| 1. | शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन | शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन पर **बिना किसी समय सीमा के विचार किया जाएगा।** | 1. दो समाचार पत्र, जिनमें अपेक्षित परिवर्तन प्रकाशित कराया गया। इससे संबंधित राजपत्र अधिसूचना। |
| 2. | शिक्षार्थी के नाम, माता के नाम और पिता के नाम में संशोधन | शैक्षिक सत्र 2018-2019 से **प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर** वर्तनी अशुद्धियों, शिक्षार्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम में तथ्यात्मक अशुद्धियों के संशोधन पर विचार किया जाएगा। | 1. संबंधित नगरपालिका/स्थानीय स्वशासन/अंचल अधिकारी कार्यालय/प्रखंड विकास अधिकारी/उप मंडल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट/जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।<br>2. रु. 10 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पर आवश्यक संशोधन के लिए किए गए निवेदन के संबंध में घोषणा करते हुए तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के संशोधनों के लिए एनआईओएस को क्षति से सुरक्षित किया जाए। |
| 3. | जन्मतिथि में संशोधन | एक बार एनआईओएस के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद जन्मतिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर भी, वास्तविक टंकण अशुद्धि/तथ्यात्मक अशुद्धियों का संशोधन किया जा सकता है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2018-19 से प्रवेश के लिए **प्रवेश की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के अंदर जन्मतिथि में संशोधन पर विचार किया जाएगा।** | 1. संबंधित नगरपालिका/स्थानीय स्वशासन/अंचल अधिकारी कार्यालय/प्रखंड विकास अधिकारी/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ जिला मजिस्ट्रेट/जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।<br>2. रु. 10 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पर आवश्यक संशोधन के लिए किए गए निवेदन के संबंध में घोषणा करते हुए तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के संशोधनों के लिए एनआईओएस को क्षति से सुरक्षित किया जाए। |
| 4. | बेमेल फोटो में परिवर्तन | बेमेल फोटो में परिवर्तन पर **प्रथम परीक्षा में बैठने से पहले बदलने पर विचार किया जाएगा।** | |
| 5. | प्रशासनिक शुल्क | पहले पाँच वर्षों में संशोधन के लिए शुल्क रु. 400 होगा।<br>छठे से दसवें वर्ष तक संशोधन के लिए शुल्क रु. 800/- होगा। फोटो में परिवर्तन का शुल्क रु. 200/- होगा। | |

## Table 6: Norms for Correction of Records

| Sl. No | Correction | Norms | Document required for change correction |
|---|---|---|---|
| 1 | Change in Learner's Name | Change in the name of learners will be considered **without any time restriction** | 1. Two Newspapers in which the desired change has been published. Gazette Notification to this effect. |
| 2 | Correction in Learner's name, other's name and Father's name | From the Academic session 2018-2019 onwards, Correction of spelling errors, factual errors in learners' name, fathers' name, mothers, name will be considered within a period of **ten years from the date of registration for admission** | 1. Valid documents issued by the concerned Municipal Corporation / Local Self Government / Office of the Circle Officer/ Block Development Officer /Sub Divisional Magistrate / District Magistrate / Registrar of Births and Deaths.<br>2. A sworn affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- making necessary declaration with respect to the request made for necessary corrections indemnifying the NIOS from any claim against such corrections by the third party. |
| 3 | Correction in Date of Birth | No change in the date of birth once recorded in the NIOS records shall be made. However, correction to rectify the genuine typographical error/ factual errors can be made. From the Academic session 2018-2019 onwards, the correction in date of birth will be considered within a period of **ten years from the date of registration for admission** | 1. Birth certificate from the concerned Municipal Corporation / Local Self Government / Office of the Circle Officer/ Block Development Officer /Sub Divisional Magistrate / District Magistrate / Registrar of Births and Deaths.<br>2 A sworn affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- making necessary declaration with respect to the request made for necessary corrections indemnifying the NIOS from any claim against such corrections by the third party. |
| 4 | Change of Mismatched photograph | Change of mismatched photograph will be considered before **appearing in the first examination.** | |
| 5 | Administrative fee | Corrections for first five years shall be Rs. 400/-<br>Corrections for Sixth to ten years shall be Rs. 800/-<br>Change of Photograph shall be Rs. 200/- | |

# 3

# अध्ययन प्रक्रिया
# Instructional Process

## 3.1 पाठ्यक्रम और स्व-अध्ययन सामग्री

- ओबीई कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम एनआईओएस द्वारा तैयार किया गया है।
- ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कराये जाने वाले विषयों में शैक्षिक और व्यावसायिक विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को कार्य क्षेत्र से परिचित कराना है।
- यह पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को जीवन संबंधी मामलों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है।
- इसमें राष्ट्रीय मामलों और सामाजिक सरोकार, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, शांति और मूल्य भी शामिल हैं।
- गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
- शिक्षार्थियों की प्रतिभा और गुणों को भी महत्व दिया गया है।
- ओबीई के लिए आदर्श अध्ययन सामग्री एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- प्रत्यायित एजेंसियां राज्य सरकार अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों का भी प्रयोग कर सकती हैं। इसलिए शिक्षार्थियों को एए द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्व-अध्ययन सामग्री/पाठ्य पुस्तक के लिए संबंधित एए से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

## 3.1 Curriculum and Self Learning Material

- The curriculum for OBE programme has been developed by NIOS.
- The subjects offered under OBE Programme at different levels include Academic and Vocational Subjects. This has been done in order to introduce the learners to the world of work.
- The curriculum gives opportunity to learners to think about life related issues.
- It also talks about National concerns and issues related to societal concerns, social harmony, national integration, peace and values.
- Efforts have been made to provide activity based learning.
- The talent and virtues of learners are also recognised.
- Sample learning materials for OBE are available on NIOS website.
- AAs may also use the text books developed by the State Government or other national level Board of School Education. Therefore, **learners are advised to contact the concerned AA for the Self Learning Material/Text Book used by the AA.**

## 3.2 ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के घंटे

- ओबीई कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कम से कम 100 घंटे प्रति विषय समय दिया गया है।
- फिर भी, किसी व्यावसायिक विषय के मामले में, प्रायोगिक कार्य के लिए, 50 घंटे का अतिरिक्त समय (एक व्यावसायिक विषय के लिए कुल 150 घंटे) दिया जाना चाहिए।
- प्रति विषय अध्ययन के घंटे निम्न प्रकार से हैं :-

## 3.2 Study Hours under OBE Programme

- The Curriculum of OBE Programme requires minimum 100 hours of study time per subject.
- However, in case of a pre-vocational subject, additional time of 50 hours should be given for practical work (Total 150 hours for One vocational subject.)
- The Study Hours per Subjects are as follows:

### तालिका 7: अध्ययन के घंटे

| स्तर | विषय | कुल घंटे | अध्ययन केंद्र पर अध्ययन के लिए घंटे (पीसीपी) | स्व-अध्ययन के लिए अध्ययन के घंटे |
|---|---|---|---|---|
| क और ख | एक भाषा | 100 | 50 | 50 |
| | दो शैक्षिक विषय | 200 | 100 | 100 |
| | एक पूर्व-व्यावसायिक विषय | 150 | 30 (सिद्धांत) +70 (प्रायोगिक) | 20 (सिद्धांत) +30 (प्रायोगिक) |
| कुल | **कुल विषय = 4** | **450** | **250** | **200** |
| ग | एक भाषा | 100 | 50 | 50 |
| | तीन शैक्षिक विषय | 300 | 150 | 150 |
| | एक पूर्व-व्यावसायिक विषय | 150 | 30 (सिद्धांत) +70 (प्रायोगिक) | 20 (सिद्धांत) +30 (प्रायोगिक) |
| **कुल** | **कुल विषय = 5** | **550** | **300** | **250** |

### Table 7: Study Hours

| Level | Subject | Total Hrs. | Study Hrs. at Study Centre (PCP) | Study Hrs for self Study |
|---|---|---|---|---|
| A and B | One Language | 100 | 50 | 50 |
| | Two Academic Subjects | 200 | 100 | 100 |
| | One Vocational Subject | 150 | 30 (Theory) +70 (Practical) | 20 (Theory)+30 (Practical) |
| **Total** | **Total subjects= 4** | **450** | **250** | **200** |
| C | One Language | 100 | 50 | 50 |
| | Three Academic Subjects | 300 | 150 | 150 |
| | One Vocational Subject | 150 | 30 (Theory) +70 (Practical) | 20 (Theory) +30 (Practical) |
| **Total** | **Total Subjects = 5** | **550** | **300** | **250** |

शिक्षार्थियों को स्वयं एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। इससे मुख्य धारा से जुड़ने और निरंतर जीवन पर्यंत सीखने में मदद मिलेगी।

## 3.3 शिक्षार्थी के एए/अध्ययन केंद्र के बारे में

प्रत्यायित एजेंसी (अध्ययन केंद्र) **बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के** निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी:

- ➤ प्रत्येक स्तर पर पाठ्क्रम में निर्धारित सीमा तक शिक्षार्थियों को शैक्षिक सहायता।
- ➤ शिक्षार्थियों की पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं/प्रश्नों को हल करने के लिए परामर्श।
- ➤ परीक्षा तिथि पत्र, परीक्षा केंद्र एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना देना।
- ➤ परीक्षा आयोजित करना।
- ➤ एनआईओएस से प्राप्त करने के बाद किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना उपलब्धि/परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना।

Learner may develop habit of self and independent learning. This will help in mainstreaming and continuation in lifelong learning.

## 3.3 About AA/Study Centre of the Learner

The Accredited Agency (Study Centre) will provide the following services **without any additional charges:**

- ➤ Academic support to learners to the extent prescribed in the curriculum at each level.
- ➤ Counseling to solve learner's problems/ queries related to the course.
- ➤ Informing the examination date sheet, examination centre and other important information.
- ➤ Conducting Examination.
- ➤ Issue achievement-cum transfer certificate jointly after receiving from NIOS without any additional fee.

# 4

# मूल्यांकन प्रक्रिया
# Evaluation System

परीक्षा के लिए निम्नांकित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें :

i. संबंधित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथियों पर वर्ष में एक बार फरवरी के महीने में परीक्षा आयोजित की जाती है।

ii. पहली बार पंजीकरण करने वाले शिक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले एक वर्ष तक अध्ययन करना होगा।

iii. परीक्षा का माध्यम हिंदी/संस्कृत/अंग्रेजी/उर्दू/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है।

iv. स्तर 'क' और 'ख' के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का और परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी जबकि स्तर -ग' के लिए होगा प्रश्न पत्र 100 अंकों का और इसकी अवधि तीन घंटे होगी।

v. परीक्षा की तिथि सूची संबंधित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी।

## 4.1 परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना

योग्य शिक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को संबंधित प्रत्यायित एजेंसी तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

## 4.2 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड

ओबीई कार्यक्रम के किसी भी स्तर पर उत्तीर्ण होने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, एनआईओएस द्वारा निर्धारित मानदण्ड तालिका-8 में दिए गए हैं :-

The following important points should be remembered for examination:

i. Examination is held once in a year in the month of February on the dates fixed by concerned Accredited Agency.

ii. The learner registering for the first time would be required to study for one year before appearing for an examination.

iii. The medium of examination may be Hindi/ Sanskrit/English/Urdu/Regional Language.

iv. The examination papers for levels A and B shall be of 100 marks of two and half hours duration; while that for Level C shall be of 3 hours and 100 marks.

v. The date sheet of examination will be prepared by concerned Accredited Agency.

## 4.1 Issue of Achievement cum Transfer Certificate

A Joint Certificate would be issued to the eligible candidates jointly signed by the concerned Accredited Agency and the National Institute of Open Schooling, (NIOS).

## 4.2 Certification Criteria

In order to pass at any level and get a certificate of OBE Programme, the criteria laid down by NIOS are given in Table-8:

**तालिका 8 : मुक्त बेसिक शिक्षा परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड**

**Table 8: Certification Criteria at different levels of Open Basic Education Examinations**

**स्तर 'क'**

न्यूनतम एक भाषा (समूह 1 से) + न्यूनतम 2 विषय (समूह 2 से) + न्यूनतम 1 पूर्व व्यावसायिक विषय (समूह-3 से) - कुल 4 विषय

**स्तर 'ख'**

न्यूनतम एक भाषा (समूह 1 से) + न्यूनतम 2 विषय (समूह 2 से) + न्यूनतम 1 पूर्व व्यावसायिक विषय (समूह-3 से) - कुल 4 विषय

**स्तर 'ग'**

न्यूनतम एक भाषा (समूह 1 से) + न्यूनतम 3 विषय (समूह 2 से) + 1 पूर्व व्यावसायिक विषय (समूह-3 से) - कुल 5 विषय

**Level 'A'**

Minimum 1 Language (from Group-1) + Minimum 2 Subjects (from Group-2) + Minimum 1 Pre Vocational Subject (from Group-3) - Total 4 Subjects

**Level 'B'**

Minimum 1 Language (from Group-1) + Minimum 2 Subjects (from Group-2) + Minimum 1 Pre Vocational Subject (from Group-3) - Total 4 Subjects

**Level 'C'**

Minimum 1 Language (from Group-1) + Minimum 3 Subjects (from Group-2) + Minimum 1 Pre Vocational Subject (from Group-3) - Total 5 Subjects

## 4.3 क्रेडिट संचयन

शिक्षार्थी प्रवेश के पांच वर्ष की वैधता की अवधि में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में पांच बार परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त कर सकता/सकती है। एनआईओएस आपके डाटा बेस में संबंधित विषयों में तब तक क्रेडिट संचय करता रहेगा जब तक शिक्षार्थी प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक सभी विषयों में सफलता प्राप्त न कर ले। शिक्षार्थी बेहतर शिक्षा और अच्छे परिणाम के लिए इस सुविधाजनक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

## 4.3 Credit Accumulation

A learner can avail nine chances to appear in the Public Examinations spread over a period of five years within the validity of the admission. NIOS accumulate credits in concerned subjects in its database till the learner clears all the required subjects for certification. Learners can avail this flexible scheme of examination in order to learn well and to get good results.

## 4.4 मूल्यांकन नियम (ग्रेडिंग का स्वरूप)/Evaluation Norms (Grading Pattern)

**तालिका 9: ग्रेडिंग का स्वरूप / Table 9: Grading Pattern**

| अंक सीमा (% में)<br>Marks Range (in %) | ग्रेड<br>Grade | विवरण<br>Description |
|---|---|---|
| 75-100 | ए/A | सर्वोत्कृष्ट/Excellent |
| 60-74 | बी/B | बहुत अच्छा/Very Good |
| 45-59 | सी/C | अच्छा/Good |
| 33-44 | डी/D | संतोषजनक/Satisfactory |
| Below 33 | ई/E | विषय उत्तीर्ण करना शेष है (एसवाईसी)<br>Subject yet to be (SYC) cleared |

## 4.5 दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति जारी करना

संशोधित दस्तावेज़ों की दूसरी प्रतियों के लिए शुल्क निम्नानुसार लिया जाएगा।

## 4.5 Issue of Duplicate Documents

The fee for revised duplicate documents will be charged as mentioned below:

**तालिका 10 : विविध शुल्क**

| शुल्क की प्रवृत्ति<br>**Nature of Fees** | शुल्क की राशि (रु. में)<br>**Amount of Fees (in Rs.)** |
|---|---|
| परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति<br>Duplicate copy of the Achievement cum Transfer Certificate | 200/- |
| एनआईओएस दस्तावेज़ों का सत्यापन (निजी कंपनियों और स्व शिक्षार्थियों के लिए)<br>Verification of NIOS documents (for Private companies and individual learners) | 500/- |
| प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि से 48 घंटों के अंदर तत्काल आधार पर प्रमाणपत्रों का सत्यापन (निजी कंपनियों और स्व शिक्षार्थियों के लिए)<br>Verification of certificate on urgent basis within 48 hours from the date of receipt (for Private companies and individual learners) | 1000/- |
| डाक खर्च (यदि सामग्री स्पीड पोस्ट से भेजी जानी है)<br>Postal Charges (If the above documents are required by Speed Post) | 50/- |

**नोट :**

- परिणाम सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए ई-सेवा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षार्थी को पहचान पत्र की दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी।
- प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के मामले में, शपथ पत्र आवश्यक है।

**Note:**

- Apply online through E-service for obtaining duplicate copy of Achievement cum Transfer Certificate.
- Duplicate I-cards will not be issued to certified candidates.
- In case of duplicate certificate, an affidavit is required.

## 4.6 अनुचित साधन (यूएफएम)

शिक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और उसे आगामी परीक्षाओं में बैठने से भी रोका जा सकता है। शिक्षार्थी का प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है।

## 4.6 Unfair Means (UFMs)

In case of use of unfair means by the learner in examination, the examination will be cancelled and could be further debarred from appearing in the future examinations. The learner's admission may also be cancelled.

# 5

# एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान ( अक्षमतानुसार )

# General and Specific Provisions (Disability wise) in the context of NIOS Examinations

दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधिता, वाकबाधिता, गति अक्षमता और अन्य प्रकार की अक्षमता वाले जिन (अक्षमतानुसार) अक्षम शिक्षार्थियों को परीक्षा लिखने में कठिनाई होती है उनके लिए आवश्यकता के आधार पर लेखक, तकनीकी उपकरणों आदि की सुविधा का प्रावधान है। एनआईओएस की समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार उनकी अक्षमताओं के आधार पर सामान्य सुविधाओं का प्रावधान है।

स्पष्टता के लिए उपबंधित प्रावधानों को खण्डों तथा उप-खण्डों में परिभाषित किया गया है।

## 5.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ

विकलांगता अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में निर्दिष्ट शिक्षार्थियों की अक्षमता तथा वे शिक्षार्थी जिन्हें अधिगम में विशेष परेशानियाँ हैं और वे विशेष सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिन्हें परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को दिए गए प्रोफार्मा में एक आवेदन जमा करना आवश्यक है। एक उचित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दें जिसमें अक्षमता की प्रकृति तथा अक्षमता की सीमा दर्शाई गई हो।

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए निम्नांकित में से किसी के द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

i. केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

The learners with disabilities like blindness, low vision, speech impairment, locomotor disability and any other disability which causes difficulty in writing the examinations are to be provided with need based provisions such as amanuensis, technological devices etc. The provisions shall be according to their disabilities as per the procedure notified by NIOS from time to time.

The provisions made have been precisely defined in clauses and sub-clauses for clarity.

## 5.1 Procedural Requirements

The learners with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act 1995 and the National Trust Act, 1999 and those with specific learning difficulties who wish to avail certain facilities or need some reasonable accommodations in the examinations are required to submit an application in the given format to the concerned Regional Centre of NIOS. A learner should clearly indicate the support required along with the certificate issued by an appropriate authority indicating the nature of disability and the extent of the disability.

A Medical Certificate issued by any of the following authorities is required for availing specific provisions by learners with disability:

i. Disability Certificate(s) issued by Government Hospitals under Central or State Governments.

ii. राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, स्पैस्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

iii. संबंधित राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों/भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ पंजीकृत चिकित्सकों/ केंद्र सरकार/ संबंधित राज्यों की राज्य सरकार द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

परीक्षा में बैठने के दौरान शिक्षार्थी प्रमाणपत्र में दर्शाए अनुसार उत्तर पुस्तिका के ऊपर अक्षमता लिखें।

## 5.2 सामान्य प्रावधान

### 5.2.1 अतिरिक्त समय का प्रावधान

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अक्षमताओं वाले सभी शिक्षार्थियों की स्थित उपयुक्त अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित की जाए।

i. लेखक द्वारा पढ़ने, प्रश्नपत्रों को समझने, लेखक को डिक्टेशन देते हुए लगातार बैठे रहने, थकान आदि की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

ii. ऊपर निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र में उल्लिखित लघु अंतराल की आवश्यकता हो तो उपर्युक्त के अतिरिक्त दस मिनट प्रति घंटे के लघु अंतराल की अनुमति दी जाएगी।

### 5.2.2 लेखक का प्रावधान

लेखक, रीडर, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का लाभ केवल संबंधित विषय की आवश्यकतानुसार उठाया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षार्थी इस सुविधा के पात्र होंगे:

क. ऑटिज़्म से ग्रसित शिक्षार्थी

ख. मानसिक पक्षाघात

ii. Disability Certificate(s) issued by recognized institutes of national level such as National Association for the Blind, Spastic Society of India etc.

iii. Disability Certificate(s) issued by non-governmental organizations/ practitioners registered with Rehabilitation Council of India/ Central Government/ State Government of the respective States.

While appearing in the examination, the learner should write disability as mentioned in the certificate on the top of the answer book.

## 5.2 General Provisions

### 5.2.1 Provision of Additional Time

The condition of learners with disabilities will have to be certified as per approved procedure as mentioned above for determining requirement of additional time.

i. An additional 20 minutes per hour of examination for each of the subject will be provided to compensate for additional time required for reading by the amanuensis, understanding the questions, fatigue while dictating to the Amanuensis, sitting continuously etc.

ii. If the condition indicated in the Medical Certificate specified above requires short break, a break of not more than ten minutes per hour will be permitted in addition to above.

### 5.2.2 Provision of Amanuensis

The services of an amanuensis, reader, lab assistant can be availed as per requirement of the subject concerned. The following categories of learners will be eligible for this facility:

a. Learners with Autism

b. Cerebral Palsy

ग. मानसिक मंदता सहित दिमागी अक्षमता

घ. बहुविध अक्षमताएँ

ड. देखने में अक्षम, दृष्टि बाधित

च. बोलने तथा सुनने की कमी।

छ. ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित अन्य क्षमताओं वाले शिक्षार्थी, विशेष रूप से अधिगम में अक्षमताएँ जैसे डाइस्लेक्सिया, डाइस्ग्राफिया, डाश्स्कैलकुलिया, डायस्प्राक्सिया तथा स्वर विकास की अक्षमता।

(i) ऐसे शिक्षार्थी जिसे हाथ चलाने में कठिनाई हो और जिसे बोलने तथा सुनने में भी कठिनाई हो, वह सांकेतिक भाषा समझने वाले विशेषज्ञ की मदद ले सकता है जो सांकेतिक भाषा समझते हों।

(ii) हाथ में चोट लगने पर शिक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकती है।

(iii) अचानक बीमार होने के मामले में जहां अस्थायी प्रकृति की अक्षमता हो, लेखक की सेवा की अनुमति निर्धारित विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के बाद दी जाएगी।

(iv) ऐसे अक्षम शिक्षार्थी जिसने लेखक की सुविधा का चयन किया है, यदि वह शिक्षार्थी इच्छुक है तो उसे चित्र आदि स्वयं बनाने की अनुमति दी जाए।

(v) अक्षम शिक्षार्थी को आवश्यकता पड़ने पर रीडर की सुविधा प्रदान की जाए।

(vi) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में एक सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फॉर्म के साथ ही, दिए गए प्रोफार्मा में पूर्व आवेदन अवश्य जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।

c. Intellectual Disability including Mental Retardation

d. Multiple Disabilities

e. Blindness, Low Vision

f. Speech Impairment or Hearing Impairment

g. Any other disability such as learners with specific learning disabilities like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia certified as per procedure mentioned above.

(i) A learner with poor hand function and speech and hearing impairments may be provided an amanuensis who can understand communication including sign language.

(ii) A learner with hand injury may be provided the facility of an amanuensis.

(iii) In case of sudden illness resulting in temporary disability, services of an amanuensis will be allowed on furnishing duly certified Medical Certificate specified above.

(iv) A learner with disabilities who may choose the use an amanuensis may be permitted to draw the diagrams etc., himself/herself if he/she so desires.

(v) A learner with disabilities may be provided the services of a Reader as and when required.

(vi) In case a learner needs a Care Giver inside the Examination Hall during the examination, a prior application in the given format is required to be submitted along with the Application Form, and permission has to be obtained.

(vii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में पहुंचने तथा सीट ढूंढने में सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फार्म के साथ दिए गए प्रोफार्मा में पहले ही आवेदन जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।

(viii) विशेष मामलों में शिक्षार्थी को केवल प्रेरित करने तथा समर्थन के लिए उसके निकट संबंधी, सहायक अथवा संबंधित अध्यापक परीक्षा हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए संबधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

**नोट :**

i. **लिपिक तथा लेखक** एक दूसरे के पर्याय हैं और इस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा कोई अन्य नाम भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में इसके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है।

ii. यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को भिन्न विषयों के लिए भिन्न-भिन्न लेखकों का चयन करने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

iii. परीक्षा केंद्र परिसर में देखभाल करने वाले की प्रविष्टि हेतु आवेदन प्रोफार्मा, परीक्षा केद्र में और एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iv. लेखक/लिपिक का प्रबंध शिक्षार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा केंद्र अधीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अनुमोदन की प्रक्रिया तथा लेखकों की पात्रता इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

(vii) In case a learner needs a Care Giver to help in reaching the examination room and find particular seat, a prior application in the given format is required to be submitted along with the Application Form and permission has to be obtained.

(viii) In specific cases, near relative, Care Giver or concerned teacher may be present in the examination hall only for the purpose of motivation and support to the candidate. Prior permission for this needs to be obtained from the concerned Regional Director, Regional Centre, NIOS.

**Note:**

i. The terms **scribe** and **amanuensis** are synonymous and any other term signifying the same can be used for this purpose. In this document, the term **amanuensis** has been used.

ii. The learner is allowed to opt for different amanuensis for different subjects, if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the Amanuensis is required.

iii. The format of application for the entry of the Care Giver inside the premises of the Examination Centre is available in the Examination Centre and on the NIOS website.

iv. Amanuensis/scribe can be arranged by the learner himself/herself or can be provided by the Centre Superintendent. The procedure of approval and eligibility of amanuensies is subject to provisions mentioned of in this chapter.

5.2.2

**(क) एक लेखक के रूप में पात्रता**

i. लेखक उसी विषय का नहीं होना चाहिए जिस विषय में शिक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। फिर भी, यदि शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक एक ही विषय के हैं तो लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांग शिक्षार्थी से कम से कम एक कक्षा कम होनी चाहिए।

ii. आपातकालीन अवस्था में लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक में परिवर्तन करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थी की आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों में लिखने के लिए एक से अधिक लेखकों, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की अनुमति होगी।

iii. शिक्षार्थी परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में लेखक से मिल भी सकता है।

iv. केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग शिक्षार्थी को ये सुविधाएँ दी गई हैं और क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस को इसके पालन की सूचना देंगे। संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक जहां तक संभव हो, स्कूल से एक उपयुक्त व्यक्ति चुनेंगे और उनका नाम एवं फोटो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को शीघ्र ही भेजेंगे जिसके साथ शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक विवरण देते हुए पूरी रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

**(ख) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए के लिए शुल्क**

i. परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी (दिव्यांग) को परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिए लेखक को रु. 100/- का शुल्क दिया जाएगा। पैरा 5.2.2 (iv के

5.2.2

**(a) Eligibility to be an Amanuensis**

i. The amanuensis should not be from the same subject(s) in which the learner shall be appearing for the examination. However, if the learner and the amanuensis, reader, lab assistant are from the same stream, then the educational qualification of the amanuensis, reader, lab assistant should be at least one class lower than that of the learner with disability appearing for examination.

ii. There will be flexibility in accommodating any change in amanuensis, reader, lab assistant in case of emergency. More than one amanuensis, reader for writing different papers as per requirement of the learner will be allowed.

iii. The learner shall also have the option of meeting the amanuensis a day before the examination in presence of the Centre Superintendent.

iv. The Centre Superintendent will ensure that the facilitative provisions are granted to the learner with disabilities and inform the compliance to the Regional Director, Regional Centre, NIOS. The Centre Superintendent of the Examination Centre concerned may choose a suitable person from the school as far as possible and forward name with photograph immediately to the concerned Regional Centre with a report giving full particulars of the learner and of the amanuensis, reader, lab assistant for consideration and approval.

**(b) Fee for amanuensis, reader interpreter using sign language:**

i. A fee of Rs. 100/- per session of examination will be given to the amanuensis per learner (with disability) by

अतिरिक्त) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शिक्षार्थियों को किसी प्रभार/शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. जो शिक्षार्थी अस्थायी अक्षमताओं के कारण लेखक की सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका शुल्क वे स्वयं देंगे।

### 5.2.3 कम्प्यूटरों का प्रयोग

ऐसे शिक्षार्थी जिनके हाथ न्यूनतम कार्य करते हैं, देखने में अक्षम तथा दृष्ट बाधित, सीखने में अक्षम, मानसिक पक्षघात, ऑटिज्म तथा अन्य किसी अक्षमता वाले शिक्षार्थी को कम्प्यूटर प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पहले ही इसके लिए अनुरोध करते हैं।

i) यदि वे कम्प्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो शिक्षार्थियों को सहायक उपकरणों सहित अपना कम्प्यूटर लाना होगा।

ii) उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को आवश्यक सॉफ्टवेयर (टैक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित) भी लाना होगा।

iii) केंद्र अधीक्षक पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए प्रिंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

**नोट :** केंद्र अधीक्षक को मशीनों की जांच करने का अधिकार है कि पहले से फीड की गई जानकारी मशीनों में न हो। शिक्षार्थी को ये सब औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए परीक्षा आंरभ होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा।

### 5.2.4 बैठने की व्यवस्थाएँ तथा अन्य सहायता

क. यदि परीक्षा कक्ष में जाना संभव नहीं है तो व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले एवं आने जाने में अक्षम शिक्षार्थियों को भूमि तल पर परीक्षा लिखने की सुविधा दी जाएगी।

the Superintendent of the Examination Centre. The learners under the category Para 5.2.2 (except for iv) will not be required to pay any charge/fee.

ii. The learners with temporary disabilities using the facility of amanuensis will have to pay the fee themselves.

### 5.2.3 Use of Computers

The learners with minimal hand function, blindness and low vision and learners with learning disability, cerebral palsy, autism and any other disability will be allowed to use computer if he/she makes a request in advance to the concerned Regional Director.

i. The learners may bring their own computers along with assistive devices if they so wish.

ii. The learner may also bring the required software (including the Text Reading Software) to enter the responses to the questions.

iii. The Centre Superintendent would ensure adequate power supply and a printer to print the answer scripts of the learners using computers.

**Note:** The Centre Superintendent will have the right to check the machines for no pre-fed information. Learners will need to report one hour in advance to complete these formalities.

### 5.2.4 Seating Arrangements and Other Support

a. Wheel Chair user, and mobility impaired learners will be given the facility to write the examination on the ground floor in case the examination room is inaccessible.

ख. भवन में पहुँचना आसान तथा उचित रैम्प हो और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों। केंद्र अधीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

ग. केंद्र अधीक्षक निरीक्षण हेतु एक अलग परीक्षा कक्ष में अधिकतम चार शिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करेंगे जिसमें अलग से एक निरीक्षक होगा।

घ. फिर भी यदि आवश्यक हो तो, विशिष्ट अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक निरीक्षक सहित एक अलग कक्ष का प्रबंध किया जाएगा।

ड. परीक्षा कक्ष शोरगुल से दूर तथा पूर्ण रूप से प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए।

## 5.3 विशेष प्रावधान

अनुच्छेद में वर्णित सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी हैं।

### *5.3.1 देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित*

i. देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को जहां कहीं लागू हो सिद्धांत परीक्षाओं में ज्यामिति के चित्र बनाने में, मानचित्रों के अंकन एवं लेबल करने संबंधी प्रश्नों के विकल्प प्रश्न प्रदान किए जाएंगे।

ii. देखने में अक्षम शिक्षार्थियों को लेखक की सहायता लेने/ब्रेल टाइपराइटर अथवा कंप्यूटर का परीक्षा में प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए अपने ब्रेल, टाइपराइटर, इत्यादि स्वयं लाने होंगे।

### *5.3.2 सुनने में अक्षम शिक्षार्थी*

i. सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए को सुनने में अक्षम शिक्षार्थियों को प्रश्न समझाने के लिए परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी।

b. The Building should be accessible and proper ramps and other support should be available. The Centre Superintendent will ensure availability of an accessible toilet for learners with disability.

c. The Centre Superintendent will make arrangements to seat maximum of four learners in a separate Examination Room with a separate Invigilator for supervision.

d. However, a single room with an invigilator may be made available for learners with specific disability, if so required.

e. The examination room should be well lit, ventilated and away from noise and distraction.

## 5.3 Specific Provisions

These are specific provisions in addition to the general provisions mentioned under Section

### *5.3.1 Learners with Blindness and Low Vision*

i. Learners with blindness and low vision will be provided alternate questions wherever applicable, in the theory papers in place of the questions related to marking and labelling of maps, construction of geometrical figures and diagrams/ graphs etc.

ii. Visually Impaired learners may be allowed to use amanuensis/take examination using Braille Typewriter, or Computer. The learners should arrange to bring their own Braille Typewriter, etc., for examination purposes.

### *5.3.2 Learners with Hearing Impairment*

i. Interpreter using sign language may be allowed in the Examination Room to help the learner with hearing impairment to understand the instructions.

ii. एक परीक्षा कक्ष में एक दुभाषिया पर्याप्त होगा। दुभाषिए के प्रबंध के बारे में केन्द्र अधीक्षक निर्णय ले सकते हैं।

**नोट :** यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न लिपिक/लेखक चुनने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

### *5.3.3 ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, बौद्धिक अक्षमता (मानसिक बीमारी) और बहुविध अक्षमताएँ*

i. माउस के स्थान पर ट्रैकबॉल, संचार बोर्ड (illustrative and not exhaustive) इत्यादि समरूप हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जाएगी।

ii. यदि शिक्षार्थी विशेष रूप से अक्षम हों तो उन्हें आरामदायक कुर्सी, मेज, बेड इत्यादि परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराए जाएंगे।

iii. जिन्हें आवश्यकता हो वहाँ प्रश्नपत्र पढ़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।

**नोट :** शिक्षार्थी अपने उपकरणों का स्वयं प्रबंध करेंगे।

### *5.3.4 सीखने में अक्षम शिक्षार्थी*

अनुच्छेद 5.1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सामान्य शर्तों में भी उल्लिखित किए अनुसार लेखक, कम्प्यूटर का प्रयोग और अतिरिक्त समय के प्रावधान की अनुमति है।

### *5.3.5 कुष्ठ उपचारित शिक्षार्थी*

जैसा कि 5.1 में उल्लेखित है चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर कुष्ठ उपचारित हुए शिथार्थियों के लिए सामान्य छूट लागु होगी।

ii. One interpreter may be adequate for each Examination Room. The Centre Superintendent may take decision regarding arrangement of an Interpreter.

**Note:** The learner is allowed to opt for different scribes for different subjects, if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the scribe is required.

### *5.3.3 Learners with Autism, Cerebral Palsy, Intellectual Disability (Mental Retardation), Multiple Disabilities*

i. Computers with adapted hardware like trackball instead of mouse, augmentative communication boards (illustrative and not exhaustive) may be allowed.

ii. Adapted chair, table, bed, etc., may be allowed in the Examination Room in case of learners with specific disabilities.

iii. Provision may also be made for reading the questions wherever necessary.

**Note:** The learners may arrange for their own tools and equipment.

### *5.3.4 Learners with Learning Disability*

Provision of amanuensis, use of computer and additional time is permitted as per the procedure specified under section 5.1 and also as mentioned under General Conditions.

### *5.3.5 Leprosy-Cured Learners*

General provisions will be applicable to leprosy cured learners on submitting Medical Certificate as mentioned under Section 5.1.

# परिशिष्ट - क

## एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

| क्षेत्र का नाम | पता | अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य |
|---|---|---|
| 1. बेंगलुरू | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, निदेशक कार्यालय (व्यावसायिक शिक्षा), तीसरी मंजिल, पीयूई भवन, 18वां क्रॉस सेमपिज रोड, मालेश्वरम, बेंगलुरू- 560012, कर्नाटक<br>फोन: 23464223 फैक्स: 23464222, ईमेल: rcbengaluru@nios.ac.in | कर्नाटक |
| 2. भोपाल | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, मानस भवन, श्यामला हिल, भोपाल-462002, मध्य प्रदेश<br>फोन: 0755-2661842, 2660331; फैक्स : 2661842<br>ई-मेल: rcbhopal@nios.ac.in | मध्य प्रदेश |
| 3. भुबनेश्वर | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, ईएलटीआई, कैम्पस, मैत्री विहार, चंद्रशेखर पुर, भुवनेश्वर - 751023<br>फोन: 0674-2302688, ई-मेल: rcbbsr@nios.ac.in | ओडिशा |
| 4. चंडीगढ़ | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, वाईएमसीए कॉम्पलैक्स सेक्टर-11सी, चंडीगढ़-160011<br>फोन : (का) 0172-2744915, 3950979; फैक्स : 0172-2744952<br>ई-मेल: rcchandigarh@nios.ac.in; nosrcchd@eth.net | हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर जिलों को छोड़कर), पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश |
| 5. चेन्नई | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, लेडी विलिंगडन कैम्पस, कामराजर सलाई, ट्रिपलीकेन, चेन्नई-600005<br>फोन: **044-28442237**(फैक्स) 044-28442239<br>ई-मेल: rcchennai@nios.ac.in | तमिलनाडु, पांडिचेरी |
| 6. देहरादून | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, बी.एस.एन.एल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, टर्नर रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून - 248002<br>फोन: 0135-2532566, 2532592 फैक्स: 0135-2629166<br>ई-मेल: rcdehradun@nios.ac.in | उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तथा जे.पी. नगर (अमरोहा) जिले |
| 7. दिल्ली | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच.-24,सेक्टर-62, नोएड(उ.प्र.)<br>फोन : (का) 0120-2404914-15, फैक्स : 0120-2404916,<br>ई-मेल: rcdelhi@nios.ac.in | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा इसके उ.प्र. एवं हरियाणा के नजदीकी जिले जिनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा), गाज़ियाबाद, गुड़गाँव, पलवल, फरीदाबाद तथा झज्जर। |

| क्षेत्र का नाम | पता | अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य |
|---|---|---|
| 8. गांधीनगर | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डी विंग, सातवां तल,<br>सेक्टर-11, पथिका आश्रम के पास, गांधीनगर-382011,<br>फोन : 079-23220410 फैक्स : 079-23220411<br>ई-मेल: rcgandhinagar@nios.ac.in | गुजरात |
| 9. गंगटोक | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, टीचर्स गेस्ट हाउस, सयारी, गंगटोक-ईस्ट सिक्किम-737102<br>ई-मेल: srcgangtok@nios.ac.in | सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जलिंग के सीमावर्ती जिले |
| 10. गुवाहाटी | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, असम प्रकाशन बोर्ड का भवन,<br>(असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास) प्रथम तल, बामुनी मैदान,<br>गुवाहाटी-781021 (आसाम)<br>फोन : 0361-2650541, 2651201; फैक्स : 0361-2650542<br>ई-मेल: rcguwahati@nios.ac.in | नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा |
| 11. हैदराबाद | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, IV तल, श्रीकृष्ण देवराय, तेलुगू भाषा निलयम, ट्रस्ट<br>नं. 4-4-8, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095<br>फोन : 040-24162859; फैक्स : 040-24060712 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश |
| 12. जयपुर | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, श्री कृष्णन 5-6, पदमावती कॉलोनी,<br>मानसरोवर मेट्रो स्टेरशन, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राजस्थान)302006<br>फोन : (का) 0141-2812418 (फैक्स) 2812519<br>ई-मेल: rcjaipur@nios.ac.in | राजस्थान |
| 13. जम्मू | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केंद्र<br>105, करन नगर, त्रिकुट यात्री निवास के सामने,<br>वेद मंदिर रोड, अम्बफाला,<br>जम्मू-180005<br>ई-मेल: rcjammu@nios.ac.in | जम्मू एवं कश्मीर |
| 14. कोची | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, 6वीं मंजिल, केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग<br>पनामपिल्ली नगर, कोची- 682036, फोन : (का) 0484-2310032,<br>4035540 (T/F) 0484-2310033,<br>ई-मेल: rckochi@nios.ac.in | केरल और लक्षद्वीप |
| 15. कोलकाता | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, सीएल-18ए, सेक्टर-2,साल्ट लेक सिटी (सी.के. बाजार), टैन्क नं. 9<br>करूणामयी बस स्टेंड के पास, कोलकाता-700 091 (पश्चिमी बंगाल),<br>फोन : (का) 033-24797714; फैक्स : 033-24797707,<br>ई-मेल: rckolkata@nios.ac.in | पश्चिम बंगाल (सिक्किम और दार्जलिंग को को छोड़कर) और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह |
| 16. पटना | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, ललित भवन, ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,<br>बेली रोड, पटना - 800001, बिहार<br>फोन : (O) 0612-2545051, 0612-2545470<br>ई-मेल: rcpatna@nios.ac.in | बिहार |
| 17. प्रयागराज | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, 19/17, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कचहरी रोड,<br>इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश), फोन : **(का) 0532-2548154;**<br>फैक्स : **0532-2548149**, ई-मेल: **rcallahabad@nios.ac.in** | उत्तर प्रदेश (अमेठी और गौरीगंज को छोड़कर) |

| क्षेत्र का नाम | पता | अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य |
|---|---|---|
| 18. पुणे | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान,<br>128/2 जेपी नाइक रोड, श्री निकेतन सोसायटी (सोलारिस क्लब के पास),<br>कोथरूद, पुणे - 411029 (महाराष्ट्र)<br>फोन : (का) 020-25444667, 25439763;<br>फैक्स: 020-25444667<br>ई-मेल: **rcpune@nios.ac.in** | महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव |
| 19. रायपुर | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, बी.टी.आई. ग्राउंड, डाइट परिसर, शंकर नगर,<br>रायपुर - 492001, छत्तीसगढ़<br>फोन: (O) 0771-2442147, 2442167 ई-मेल: chhatisgarh@nios.ac.in | छत्तीसगढ़ |
| 20. रांची | **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज (ओल्ड बी.एड. बिल्डिंग),<br>साहिद चौक के पास, रांची, झारखण्ड, पिन - 834001<br>फोन: 0651-2217030; Fax: 0651-2217060<br>ई-मेल: rcranchi@nios.ac.in | झारखंड |
| 21. दरभंगा | **एनआईओएस प्रकोष्ठ**<br><br>**उपक्षेत्रीय केन्द्र: दरभंगा**<br>मोह-खान चौक,<br>मेन कहन चौक के पास पो.ऑ. लाल बाग, जिला दरभंगा-846004<br>फोन : 0627-2250628 | |
| 22. शिलांग | **एनआईओएस प्रकोष्ठ शिलाँग**<br>क्षेत्रीय केन्द्र, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर निदेशालय<br>रिसर्च एवं ट्रेनिंग केम्पस (डी.ई.आर.टी.), लाटुमखरम, शिलाँग,<br>लाटुमखरम, शिलाँग, मेघालय-7930011 | मेघालय |
| 23. पोर्ट ब्लेयर | **एनआईओएस प्रकोष्ठ पोर्ट ब्लेयर**<br>निदेशालय में प्रौढ़ शिक्षा, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन शिक्षा सदन<br>अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर | पोर्ट ब्लेयर |

# Appendix - A

## *List of the Regional Centres of NIOS*

| *Name of the Region* | *Address of the Regional Centre* | *Jurisdiction* |
|---|---|---|
| 1. **BENGALURU** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Office of the Director (Vocational Education)<br>3rd Floor, PUE Bhawan, 18th Cross<br>Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560012,<br>Karnataka, Ph.: 080-23464223 Fax: 080-23464222<br>Email: rcbengaluru@nios.ac.in | Karnataka |
| 2. **BHOPAL** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462002 (M.P.)<br>Ph.: 0755-2661842, 2660331 Fax : 0755-2661842<br>e-mail: rcbhopal@nios.ac.in | Madhya Pradesh |
| 3. **BHUBANESHWAR** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>ELTI Campus Maitrivihar,<br>Chandrashekhar Pur, Bhubaneswar-751023<br>Ph. No. 0674-2302688<br>Email.: rcbbsr@nios.ac.in Website: htpp://rcbbsr.nios.ac.in | Odisha |
| 4. **CHANDIGARH** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>YMCA Complex, Sector-11C, Chandigarh-160 001<br>Ph.:(O) 0172-2744915, 3950979 Fax : 0172-2744952<br>e-mail: rcchandigarh@nios.ac.in | Haryana (Excluding Gurgaon, Faridabad Palwal & Jhajjar) Punjab, Chandigarh and Himachal Pradesh |
| 5. **CHENNAI** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Lady Willington Campus, Kamrajar Salai,<br>Triplicane, Chennai-600005, Tamilnadu<br>Ph. no. 044-28442237 Fax: 044-28442239<br>e-mail: rcchennai@nios.ac.in | Tamil Nadu, Puducherry |
| 6. **DEHRADUN** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>B.S.N.L. Telephone Exchange Building,<br>Turner Road, Clement Town, Dehradun - 248002<br>Ph.: (O) 0135- 2532566; 2532592; Fax : 0135-2629166<br>e-mail: rcdehradun@nios.ac.in | Uttrakhand, Meerut, Bagpat Saharanpur, Muzaffar Nagar, Moradabad and J.P. Nagar (Amroha) districts of U.P. |
| 7. **DELHI** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>A-31, Institutional Area, NH-24,<br>Sector-62, NOIDA- 201309<br>Distt. - Gautam Buddha Nagar (U.P.)<br>Ph: (O) 0120-2404914-15, Fax : 0120-2404916<br>e-mail: rcdelhi@nios.ac.in | NCT of Delhi and bordering Distts. of NCT in Uttar Pradesh and Haryana comprising of District of Gautam Buddh Nagar (Noida and Greater Noida), Ghaziabad, Gurgaon, Palwal, Faridabad and Jhajjar |
| 8. **GANDHINAGAR** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Multi Storied Building, D Wing, 7th Floor,<br>Sector-11, Near Pathikaashram, Gandhinagar-3820011,<br>Gujarat, Ph.: 079-23220410, Fax: 079-23220411<br>Email: rcgandhinagar@nios.ac.in | Gujarat |

| *Name of the Region* | *Address of the Regional Centre* | *Jurisdiction* |
|---|---|---|
| **9. GANGTOK** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Teacher's Guest House, Upper Syari<br>Gangtok - East Sikkim-737102<br>email: srcgangtok@nios.ac.in | Sikkim, Silliguri and Darjeeling<br>District of West Bengal |
| **10. GUWAHATI** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Building of Assam Publication Board,<br>(Near Assam Board of Secondary Education)<br>Ist Floor, Bamunimaidan, Guwahati-781021 (Assam)<br>Ph. (O): 0361-2650541, 2651201 (Fax) 0361-2650542<br>e-mail: rcguwahati@nios.ac.in | Nagaland, Arunachal Pradesh,<br>Assam, Manipur,<br>Mizoram and Tripura |
| **11. HYDERABAD** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>IV Floor, Sri Krishna Devaraya,<br>Telugu Basha Nilayam, Trust, No 4-4-8,<br>Sultan Bazar, Hyderabad - 500095.<br>Ph.: (O) 040-24162859, Fax : 040-24060712 | Telangana and Andhra Pradesh |
| **12. JAIPUR** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Sri Krishnan 5-6, Padmavati Colony,<br>Near Mansarovar Metro Station, Kings Road,<br>Nirman Nagar, Jaipur (Rajasthan) – 302006<br>Ph.: (O) 0141-2812418, Fax.: 0141-2812519<br>e-mail: rcjaipur@nios.ac.in | Rajasthan |
| **13. JAMMU** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre,<br>105, Karan Nagar, Opposite Trikuta Yatri Niwas,<br>Ved Mandir Road, Ambphala,<br>Jammu-180005<br>rcjammu@nios.ac.in | Jammu and Kashmir |
| **14. KOCHI** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>6th Floor, Kerala State Housing Board Building,<br>Panampilly Nagar, Ernakulam, Kochi-682036<br>Ph.: 0484-2310032, 4035540 (T/F) 0484-2310033<br>e-mail: rckochi@nios.ac.in | Kerala and Lakshadweep |
| **15. KOLKATA** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>CL-18A, Sector-2, Salt Lake City,<br>(Near C.K. Market, Tank No. 9 and Karuna Moyee Bus Stand)<br>Kolkata-700 091 (W.B.)<br>Ph.: (O) 033-24797714, Fax : 033-24797707<br>e-mail: rckolkata@nios.ac.in | West Bengal (Excluding Silliguri and Darjeeling)<br>and Andaman and Nicobar Island |
| **16. PATNA** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Lalit Bhawan, Ground Floor, Jawahar Lal Nehru Marg,<br>Bailey Road, Patna - 800001 (Bihar)<br>Ph.: (O) 0612-2545051, 0612-2545470<br>e-mail: rcpatna@nios.ac.in | Bihar |
| **17. PRAYAGRAJ** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>19/17, Kasturba Gandhi Marg, Kachahari Road<br>Prayagraj - 211002 (Uttar Pradesh)<br>Ph.: (O) 0532-2548154 (Fax) 0532-2548149<br>e-mail: rcallahabad@nios.ac.in | Uttar Pradesh (except Amethi & Gauriganj) |
| **18. PUNE** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>C/o Indian Institute of Education Campus,<br>128/2 JP Naik Road,<br>Sriniketan Society, (Near Solaris Club)<br>Kothrud, Pune-411029 (Maharashtra)<br>Ph. (O) 020-25444667, 25439763 (Fax) 020-25456496<br>e-mail: rcpune@nios.ac.in | Maharashtra, Goa<br>and Daman & Diu |

| *Name of the Region* | *Address of the Regional Centre* | *Jurisdiction* |
|---|---|---|
| **19. RAIPUR** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>B.T.I Ground, DIET Campus, Shankar Nagar<br>Ph: (O) 0771-2442147, 2442167<br>Raipur-492001, Chhatisgarh<br>e-mail: chhatisgarh@nios.ac.in | Chattisgarh |
| **20. RANCHI** | **National Institute of Open Schooling**<br>Regional Centre<br>Teacher Training College<br>(Old B.Ed. Building), Near Sahid Chowk,<br>Ranchi, Jharkhand, Pin - 834001<br>Phone No.: 0651-2217030; Fax: 0651-2217060<br>e-mail: rcranchi@nios.ac.in | Jharkhand |
| | **NIOS CELLS** | |
| **21. DARBHANGA** | **NIOS Cell Darbhanga**<br>Moh-Khan Chowk,<br>Near Main Kahn Chowk<br>PO Lal Bagh,<br>Distt. Darbhanga – 846004<br>Ph. (O): 0627-2250628 | |
| **22. SHILLONG** | **NIOS Cell Shillong**<br>Directorate of Educational Research<br>& Training Campus (DERT), Laithumkhram<br>Shillong, Meghalaya-793011<br>e-mail:shillongcentre@nios.ac.in | Meghalaya |
| **23. PORT BLAIR** | **NIOS Cell Port Blair**<br>Adult Education in the Directorate<br>A&N Administration Shiksha Sadan<br>A&N Island, Port Blair<br>e-mail: nioscellportblair@nios.ac.in | Port Blair |

# राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
# मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम
## प्रतिभा और गुण

**प्रतिभा**

कविता, गायन, नृत्य, वाद्य संगीत, अभिनय, अनुकरण, रचनात्मकता, चित्रकला, अन्य गुण

**विशेषताएँ/गुण**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | स्वच्छता | व्यक्तिगत स्वच्छता घर, पड़ोस, स्कूल परिसर, सामान्यतः समुदाय की स्वच्छता में योगदान करती है। |
| 2 | बड़ों का सम्मान और छोटों के लिए प्यार | आज्ञाकारी होना, सेवा की भावना, विनम्र और मददगार होने के साथ-साथ छोटों के लिए प्यार और स्नेह दिखाना |
| 3 | सहयोग | परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, साथी शिक्षार्थियों, अक्षमों, वृद्धों के साथ सहयोग |
| 4 | अनुशासन | समय का पाबंद होना, आत्मसंयम रखना, कर्तव्य निष्ठा की भावना रखना। |
| 5 | देश प्रेम | आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र का साथ देना, हमेशा राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना। |
| 6 | सहनशीलता | दूसरों की राय को धैर्यपूर्वक सुनना और समझना। |
| 7 | साहस | आत्मविश्वास, कार्य करने की चाह, मेहनती, निडर। |
| 8 | समर्पण | विश्वास, कार्य के प्रति समर्पण, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। |
| 9 | कृतज्ञता | यदि कोई कुछ देता है तो उसके प्रति कृतज्ञता, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। |
| 10 | आत्म निर्भरता | दूसरों से कम सहायता लेना, अपना कार्य स्वयं स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होना। |
| 11 | जिम्मेदारी की भावना | अपना कर्तव्य निभाना। |
| 12 | सुव्यवस्था | अपनी और अपने आस-पास की चीजों को व्यवस्थित करना। |
| 13 | आत्मसम्मान | अपनी, परिवार की, गांव की, राज्य की, राष्ट्र की मर्यादा का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना। |
| 14 | सेवा | गरीबों, वृद्धों, अक्षमों, वंचितों और अन्य की सेवा करना। |
| 15 | सादगी | जीवन शैली, व्यवहार और सोच में सादगी। |
| 16 | कोई अन्य | |

# Appendix - B

## National Institute of Open Schooling
### Open Basic Education Programme

### TALENT AND VIRTUES

**Talent**

Poetry, Singing, Dance, Instrumental Music, Acting, Mimicry, Creativity, Painting, Others

**Qualities/Virtues**

| | |
|---|---|
| 1 Cleanliness | Personal hygiene contributing to the cleanliness of home, neighborhood, school premises, the community in general. |
| 2 Respect for elders & Love For young ones | Being obedient, spirit for service, being humble & helpful as well as showing love and affection for the young ones |
| 3 Co-operation | Co-operation with members of the family, neighbours, fellow learners, disabled, elders |
| 4 Discipline | Being punctual, exercising self control, having a sense of duty. |
| 5 Patriotism | One with the nation in the time of need, always upholding the dignity of the nation, having respect for the national flag, national anthem, national emblem. |
| 6 Tolerance | Listening patiently to the view of others and understanding the same. |
| 7 Courage | Self confidence, eager to do work, hardworking, fearless. |
| 8 Dedication | Faith, dedication to work, loyalty to duty. |
| 9 Gratitude | Gratefulness to anyone who gives something, gratefulness to God. |
| 10 Self-reliance | Capable of doing one’s own work independently, seeking less support from others. |
| 11 Sense of Responsibility | Doing one’s duty. |
| 12 Orderliness | Keeping one’s own things and things around the order. |
| 13 Self-Respect | Respecting and upholding the dignity of self, family.village.state.Nation. |
| 14 Service | Serving the poor, elderly, handicapped, disadvantaged & other. |
| 15 Simplicity | Simplicity in style of living, behavior and thinking. |
| 16 Any other | |

# सं एफ 3-11/2002 ई जी एस -I
# भारत सरकार
# मानव संसाधन विकास मंत्रालय
# प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नई दिल्ली - 110001
11 दिसंबर 2002

सेवा में,

सभी शिक्षा सचिव
सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

**विषय : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान {पूर्वत : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ( रा.मु.वि. )} द्वारा आयोजित प्राथमिक और मिडिल स्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा को मान्यता देने के संबंध में।**

महोदय,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) पूर्वत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) दिनांक 21.11.1989 के फा. 6-2/89 अनु. III द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करना है जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। एन आई ओ एस फा. 5-24/90 अनु III दिनांक 14.09.1990 द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ आयोजित करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है (प्रति संलग्न)।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) ने अधिसूचना सं. ई वी /11(354)91/दिनांक 25.7.1991 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इस निर्णय की सूचना दी है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अधययन के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन आई ओ एस के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बोर्डों की अन्य परीक्षाओं की समकक्षता प्रदान की गई है।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) प्राथमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (मुक्त शिक्षा प्रणाली) द्वारा मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता से तीन स्तरों पर संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान करता है – ए स्तर (कक्षा III अथवा दक्षिणी राज्यों की कक्षा II के समकक्ष जहाँ प्राथमिक शिक्षा केवल कक्षा VII तक होती है, बी स्तर (कक्षा V/IV के समकक्ष और ग स्तर (कक्षा VIII/VII के समकक्ष)। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समकक्षता के उनके कार्यक्रम पर लागू होता है जहाँ समकक्षता के समान स्तर पर यही प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

आप सभी संबंधित विभागों को एनआईओएस एवं सहभागी एन जी ओ द्वारा उपर्युक्त स्तरों के लिए संयुक्त रूप से जारी प्रमाणपत्र को प्रवेश एवं रोजगार आदि के मामलों में शिक्षा के संबंधित स्तर के समकक्ष स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंधा में औपचारिक संप्रेषण/अधिसूचना जारी की जाए और सभी संबंधित विभागों में भेजा जाए।

इस संबंध में और अधिक विवरण/स्पष्टीकरण के लिए एनआईओएस के अध्यक्ष से एनआईओएस बी -31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली -110048 पर संपर्क किया जा सकता अथवा उनके वेबसाइट http:/www.nios.ac.in अथवा http/www.nos.org खोली जा सकती हैं।

भवदीय,

(अमित कौशिक)
निदेशक
दूरभाष 23382604

सूचना के लिए प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित की जाए :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकरियों/अनुभागों।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, बी-31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 को उनके दिनांक 10 अक्तूबर, 2002 के पत्र सं. रा.मु.वि.शि.सं./अध्यक्ष का./1-1/02/2607 के संदर्भ में ।

(अमित कौशिक)
निदेशक

**No. F 3-11/2002-EGS-I**
**Government of India**
**Ministry of Human Resource Development**
**Department of Elementary Education & Literacy**

New Delhi-110001
11th December 2002

**To**
**Education Secretaries,**
**All States/UTs**

**Subject: According recognition to the Examinations at Primary and Middle level Courses conducted by National Institute of Open Schooling (formerly National Open School (NOS).**

**Sir,**

The National Institute of Open Schooling (N.I.O.S.) (formerly National Open School (NOS) is an autonomous organization set up the Ministry of Human Resource Development, Government of India, in 1989 as per the Resolution issued vide No. F 6-2/89-Sch. III dated 21.11. 1989 to provide education upto pre-degree level to those who for one or the other reason could not make use of the formal education system. N.I.O.S. has also been vested with the authority to conduct and certify examinations for Secondary and Senior Secondary levels by the Government of India as per the resolution issued vide No. F 5-24/90-Sch. III dated 14.9.1990 (copy enclosed).

The Association of Indian Universities (AIU) has also intimated the Registrars of all Indian Universities vide their Notification No. EV /11 (354)91/ dated 25.7.1991 (copy enclosed) of its decision to grant equivalence to N.I.O.S. courses with those of other examinations of recognized Boards for purposes of admission to higher courses of study at Indian Universities.

As you would be aware, the National Institute of Open Schooling (NIOS) also runs Open Basic Education Programmes through Distance Education Mode (Open Learning System) at the Elementary stage and awards Joint Certificate with the partnering NGOs at three levels- A level (equivalent to' class III or class II of the Southern States where elementary stage is only till class VII), B level (equivalent to class V /IV) and C level (equivalent to class VIII/VII). This is applicable to their programme of equivalency under distance education programme where similar certificates are provided at the same level of competency and equivalency.

You may like to issue necessary instructions to all concerned to consider certificates issued by N.I.O.S. jointly with partnering NGOs for the above levels as equivalent to concerned stage of education in matters of admissions and employment etc. Formal communication/Notification regarding grant of recognition to the examination conducted by National Institute of Open Schooling may issue and the same widely circulated to all concerned.

For further details / clarifications in the matter, the Chairman, National Institute of Open Schooling may be contacted at N.I.O.S., B-31 B, Kailash Colony, New Delhi-110048 or visit their Website at **http: //www.nios.ac.in.**

Yours faithfully.

**Sd/-**
**(Amit Kaushik)**
**Director**
Tel No. 23382604

**Copy for forwarded for information to :-**

1. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. All the Officers / Sections in the Deptt. of Elementary Education and Literacy and Department of Secondary and Higher Education.
3. Chairman, National Institute of Open Schooling, B-31 B, Kailash Colony, New Delhi-l10048 with reference to his letter No. NIOS/CMOI1-l/02/2607 dated the 10th October 2002

**Sd/-**
**(Amit Kaushik)**
**Director**